रजिस्टर्ड नं0 एल0-33/एस0एम0/13-14/96.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

खण्ड : 44 | शिमला, शनिवार, 10 फरवरी, 1996/21 माघ, 1917 | संख्या 6

विषय सूची

भाग 1	वैधानिक नियमों को छोड़ कर हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल और हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट द्वारा अधिसूचनाएं इत्यादि ..	112—130
भाग 2	वैधानिक नियमों को छोड़ कर विभिन्न विभागों के अध्यक्षों और जिला मैजिस्ट्रेटों द्वारा अधिसूचनाएं इत्यादि ..	130—131
भाग 3	अधिनियम, विधेयक और विधेयकों पर प्रवर समिति के प्रतिवेदन, वैधानिक नियम तथा हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट, फाईनैन्शियल कमिश्नर तथा कमिश्नर आफ इन्कम टैक्स द्वारा अधिसूचित आदेश इत्यादि ..	132—136
भाग 4	स्थानीय स्वायत्त शासन, म्युनिसिपल बोर्ड, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, नोटिफाइड और टाउन एरिया तथा पंचायती राज विभाग ..	—
भाग 5	वैयक्तिक अधिसूचनाएं और विज्ञापन	137—141
भाग 6	भारतीय राजपत्र इत्यादि में से पुनः प्रकाशन	—
भाग 7	भारतीय निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) की वैधानिक अधिसूचनाएं तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी अधिसूचनाएं	—
—	अनुपूरक	—

10 फरवरी, 1996/21 माघ, 1917 को समाप्त होने वाले सप्ताह में निम्नलिखित विज्ञप्तियां 'असाधारण राजपत्र, हिमाचल प्रदेश' में प्रकाशित हुई :—

विज्ञप्ति की संख्या	विभाग का नाम	विषय
संख्या 4352, दिनांक........	कार्यालय उपायुक्त शिमला	श्री उमेद राम पंच, वार्ड नं0 3 मरोग, ग्राम पंचायत मरोग, विकास खण्ड ठियोग द्वारा पंच पद से त्याग-पत्र देने से उपायुक्त, शिमला द्वारा पंच पद की रिक्ति की घोषणा।
संख्या ई0 एक्स0 एन0-सी0(9) 2/90-4, दिनांक 30 जनवरी, 1996.	आबकारी एवं कराधान विभाग	हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा मैसर्ज गुजरात अम्बुजा लिमिटिड, दाड़लाघाट और मैसर्ज दी एसोसिएटिड कम्पनीज लिमिटिड हरयाणा को अन्तर्राज्यिक व्यापार या वाणिज्य के दौरान इन द्वारा निर्मित व विक्रीत सीमेन्ट पर से सेल्ज टैक्स में छूट बारे अधिसूचना इसके अंग्रेजी रूपान्तर सहित।
संख्या ई0 एक्स0 एन0-सी0 (9) 2/90-4, दिनांक 30 जनवरी, 1996.	-तदैव-	अधिसूचना संख्या ई0 एक्स0 एन0-सी0 (9) 2/90, दिनांक 31-12-94 को प्रकाशित में और संशोधन बारे अधिसूचना।

हिमाचल प्रदेश सरकार

ANIMAL HUSBANDRY DEPARTMENT

NOTIFICATIONS

Shimla-2, the 21st October, 1995

No. AHY-B (3)-9/95.—The Governor, Himachal Pradesh, on the recommendations of the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to appoint Dr. Vivek Vishal Lamba as Veterinary Officer (General Class-I Gazetted) at Vety. Hospital, Niugalsari (Kinnaur) in the pay scale of Rs. 2200-70-2550-75-3000-100-4000 in the Animal Husbandry Department on the terms and conditions as contained in this department's Memorandum No. AHY-B(2)-1/94, dated 21-2-1995 with effect from 14-3-1995 (A. N.).

Dr. Vivek Vishal Lamba will be on probation for a period of two years with effect from 14-3-1995.

Shimla-2, the 21st October, 1995

No. AHY-B (3)-4/95.—The Governor, Himachal Pradesh, on the recommendations of the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to appoint Dr. Renu Salaria as Veterinary Officer (General Class-I Gazetted) at Vety. Hospital Kotla-Behar (Kangra) in the pay scale of Rs. 2200-70-2550-75-3000-100-4000 in the Animal Husbandry Department on the terms and conditions contaianed in this department's memorandum No. AHY-B(2)-1/94, dated 21-2-1995 with effect from 8-3-1995 (F. N.).

Dr. Renu Salaria will be on probation for a period of two years with effect from 8-3-1995.

Shimla-2, the 21st October, 1995

No. AHY-B (3)-1/95.—The Governor, Himachal Pradesh, on the recommendations of the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to appoint Dr. Simmi Manuja as Veterinary Officer (General Class-I Gazetted) at Central Vety. Dispensary, Garh-Jamula (Kangra) in the pay scale of Rs. 2200-70-2550-75-3000-100-4000 in the Animal Husbandry Department on the terms and conditions as contained in the Department's Memorandum No. AHY-B (2)-1/94, dated 21-2-1995 with effect from 8-3-1995 (F. N.).

Dr Simmi Manuja will be on probation for a period of two years with effect from 8-3-1993.

Shimla-2, the 21st October, 1995

No. AHY-B (3)-2/95.—The Governor, Himachal Pradesh, on the recommendations of the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to appoint Dr. Deepti Chachra, as Vety. Officer (General Class-I Gazetted) at Central Vety. Dispensary, Naura (Kangra) in the pay scale of Rs. 2200-70-2550-75-100-3000-100-4000 in the Animal Husbandry Department on the terms and conditions as contained in this department's Memorandum No. AHY-B (2)-1/94, dated 21-2-95 with effect from 8-3-1995 (F. N.)

Dr. Deepti Chachra will be on probation for a period of two years with effect from 8-3-1995.

By order,

Sd/-
Commissioner-cum-Secretary.

विभागीय परीक्षा बोर्ड

अधिसूचनाएं

फेयरलांन, शिमला-171012, 2 जनवरी, 1996

संख्या हिपा (परीक्षा)-21/76-4.—पूर्व अधिसूचना सम संख्यक दिनांक 30 अगस्त, 1995 तथा 25 नवम्बर, 1995 के सन्दर्भ में सभी सम्बन्धित को यह सूचित किया जाता है कि 19-1-1996 से 23-1-1996 के बीच आबकारी एवं कराधान विभाग के आबकारी एवं कराधान निरीक्षकों के लिए आयोजित की जाने वाली प्रस्तावित विभागीय परीक्षायें आगामी विधान सभा सैशन की वजह से अब 2 फरवरी, 1996 से 6 फरवरी, 1996 तक आयोजित की जाएंगी। जिसकी समय-सारणी अलग से अधिसूचित की जा रही है ।

फेयरलांन, शिमला-171012, 2 जनवरी, 1996

संख्या हिपा (परीक्षा)-21/76-4.—पूर्व अधिसूचना सम संख्यक दिनांक 30 अगस्त, 1995, 20 सितम्बर, 1995 तथा 23 नवम्बर, 1995 के सन्दर्भ में सभी सम्बन्धित को यह सूचित किया जाता है कि 15-1-1996 से 23-1-1996 के बीच समस्त प्रस्तावित विभागीय परीक्षायें आगामी विधान सभा सैशन की वजह से अब 29-1-1996 से 6-2-1996 तक आयोजित की जायेंगी। जिसकी समय-सारणी अलग से जारी की जा रही है।

फेयरलांन, शिमला-171012, 3 जनवरी, 1996

संख्या हिपा (परीक्षा)-21/76-4.—पूर्व अधिसूचना सम संख्यक दिनांक 30 अगस्त, 1995, 20 सितम्बर, 1995, 23 नवम्बर, 1995 तथा 2 जनवरी, 1996 के सन्दर्भ में सभी सम्बन्धित को यह सूचित किया जाता है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा/हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा, तहसीलदार/नायब-तहसीलदार तथा राज्य में कार्यरत समस्त राजपत्रित अधिकारों, जिनके लिए विभागीय परीक्षायें जो दिनांक 15-1-1996 से 23-1-1996 के बीच होनी थीं और जोकि 10 जनवरी, 1996 से होने वाले विधान सभा सैशन के कारण स्थगित कर दी गई थी अब इन परीक्षाओं का आयोजन दिनांक 29-1-1996 से 6-2-1996 तक हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान फेयरलांन, शिमला-171012 में किया जाना है, जिसकी कि समय-सारणी निम्न प्रकार से है:—

क्र० सं०	दिनांक	दिन	समय	भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी	हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा अधिकारी	अन्य राजपत्रित अधिकारी		तहसीलदार	नायब तहसीलदार
						तकनीकी अधिकारी	गैर तकनीकी अधिकारी		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	29-1-96	सोमवार	प्रातः	—	सामान्य प्रशासन	वित्तीय प्रशासन	वित्तीय प्रशासन	लोकल फण्ड ट्रेजरी एण्ड फाईनन्शल रूल्ज	—
			माध	हिन्दी	हिन्दी	हिन्दी	हिन्दी	हिन्दी	हिन्दी

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.	30-1-96	मंगलवार	प्रातः	—	योजना एवं विकास	पेपर-3 सम्बन्धित विभागों के लिए	पेपर-3 सम्बन्धित विभागों के लिए	लोकल एण्ड स्पेशियल लाज	—
			सांय	—	कन्सटीच्यूशन एण्ड सिविल लॉ	—	पेपर-4	रैवन्यू केस	—
3.	31-1-96	बुधवार	प्रातः	क्रीमीनल ला एण्ड प्रोसीजर	क्रीमीनल ला एण्ड प्रोसीजर	—	पेपर-5	लैण्ड रैवन्यू एक्टस एण्ड रूल्ज	लैण्ड रैवन्यू एक्टस एण्ड रूल्ज
			सांय	क्रीमीनल केस	क्रीमीनल केस	—	—	अरिथमैटिक एण्ड पटवारीज मैनसुरेशन	अरिथमैटिक एण्ड पटवारीज मैनसुरेशन
4.	1-2-96	वीरवार	प्रातः	माईनर (रैवन्यू) एक्टस एण्ड मैनुअल्ज	माईनर (रैवन्यू) एक्टस एण्ड मैनुअल्ज	—	—	माईनर रैवन्यू एक्टस एण्ड रूल्ज	माईनर रैवन्यू एक्टस एण्ड रूल्ज
			सांय	मोटर मकैनिज्म एण्ड ड्राईविंग	मोटर मकैनिज्म एण्ड ड्राईविंग	—	—	क्रीमीनल ला एण्ड प्रोसीजर	क्रीमीनल ला एण्ड प्रीसीजर
5.	2-2-96	शुक्रवार	प्रातः	—	टारगेट शूटिंग (राईफल एण्ड रिवाल्वर)	—	—	—	—
			सांय	—	—	—	—	—	—
6.	3-2-96	शनिवार	प्रातः	रैवन्यू ला एण्ड प्रोसीजर	रैवन्यू ला एण्ड प्रोसीजर	—	—	—	—
			सांय	रैवन्यू केस	रैवन्यू केस	—	—	—	—
7.	5-2-96	सोमवार	प्रातः	सिविल सर्विस ट्रेजरी एण्ड फाईनैन्शल रूल्ज	सिविल सर्विस ट्रेजरी एण्ड फाईनैन्शल रूल्ज	—	—	—	—
			सांय	स्पैशियल एक्टस (क्रीमीनल) मैनुअल्ज एण्ड रूल्ज	स्पैशियल एक्टस (क्रीमीनल मैनुअल्ज एण्ड रूल्ज	—	—	—	—
8.	6-2-96	मंगलवार	प्रातः	—	हौरस राईडिंग	—	—	—	—

नवम्बर/दिसम्बर, 1995 में आयोजित की जाने वाली विभागीय परीक्षाओं के लिए जिन उम्मीदवारों को पहले ही 30 अगस्त, 20 सितम्बर, 1995 व 23 नवम्बर, 1995 अधिसूचना के सन्दर्भ में रोल नम्बर जारी किये जा चुके हैं वह उन्हीं रोल नम्बर के आधार पर विभागीय परीक्षाओं में बैठने के लिए पात्र होंगे।

फेयरलान, शिमला-171012, 3 जनवरी, 1996

संख्या हिवा (परीक्षा)-21/76-4.—पूर्व अधिसूचना सम संख्यक दिनांक 30 अगस्त, 1995, 25 नवम्बर, 1995 तथा 2 जनवरी, 1996 के सन्दर्भ में सभी सम्बन्धित को यह सूचित किया जाता है कि आबकारी एवं कराधान विभाग, हिमाचल प्रदेश के आबकारी तथा कराधान निरीक्षकों की विभागीय परीक्षायें जो दिनांक 19-1-1996 से 23-1-1996 तक आयोजित की जानी थी और जोकि विधान

सभा सैशन के कारण स्थागित कर दी गई थी। अब इन परीक्षाओं का आयोजन दिनांक 2-2-1996 से 6-2-1996 तक हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान, फेयरलान्ज, शिमला-171012 में किया जाना है, जिसकी समय-सारणी निम्न प्रकार से है:—

क्र0 सं0	दिनांक	दिन	सत्र	पर्चे का नाम
1.	2-2-1996	शुक्रवार	प्रातः	ला आफ क्राईमज
			सांय	एक्साईज लॉ
2.	3-2-1996	शनिवार	प्रातः	लॉ रिलेटिंग टू अलाईड टैकनिज
			सांय	प्रापरटी टैक्स लॉ एण्ड प्रैक्टिस एण्ड सिविल लाज
3.	5-2-1996	सोमवार	प्रातः	सेल्ज टैक्स लॉ एण्ड प्रैक्टिस
			सांय	बुक कीपिंग एण्ड जनरल कमर्शियल नॉलिजज
4.	6-2-1996	मंगलवार	प्रातः	लैहंदा मक्रिप्ट (अमृतसरीया महाजनी)

दिसम्बर 1995 में ली जाने वाली विभागीय परीक्षाओं के लिए जिन उम्मीदवारों को पहले ही 30 अगस्त, 1995 की अधिसूचना के सन्दर्भ में रोल नम्बर जारी किये जा चुके हैं, वह उन्हीं रोल नम्बर के आधार पर विभागीय परीक्षाओं में बैठने के लिए पात्र होंगे।

हस्ताक्षरित/-
सचिव।

शिक्षा विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 6 जनवरी, 1996

संख्या ई0 डी0 एन0 सी0-जी0(1)15/95.—यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल का यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव गानवी, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला में राजकीय उच्च विद्यालय गानवी क्रीड़ा स्थल व भवन निर्माण के लिए भूमि ली जानी अपेक्षित है, अतएव एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित विस्तृत विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों, उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा इस द्वारा द्वारा अपेक्षित या अनुमतः अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति, जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित किए जाने की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू-अर्जन समाहर्ता, उप-मण्डल अधिकारी (सिविल), रामपुर-बुशैहर, जिला शिमला के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है।

विस्तृत विवरणी

जिला : शिमला तहसील : रामपुर बुशैहर

गांव	खसरा नं0	क्षेत्र (हैक्टेयरों में)		
1	2	3	4	5
गानवी	394	0	01	89
	477	0	00	88
	478	0	16	32
	492	0	00	52
	502	0	00	32
	503	0	00	85
	512	0	20	78
	504	0	02	19
	505	0	04	77
	495	0	00	23
	507	0	00	36
	508	0	03	97
	499	0	04	32
	500	0	00	15
	509	0	09	10
	498	0	02	45
	506	0	06	03
	476	0	05	98
	497	0	03	11
	कित्ता .. 19	0	84	22

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित/-
आयुक्त एवं सचिव।

खाद्य एवं आपूर्ति विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 23 जनवरी, 1996

संख्या एफ0 डी0 एम0 एफ0 (6)-1/94-I.—यतः राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश को यह प्रतीत होता है कि भारत पैट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटिड, जो कि भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का पहला अधिनियम) की धारा 3 के खण्ड (सी0 सी0) के अन्तर्गत सरकार के स्वामित्व और नियन्त्रण के अधीन एक निगम है, के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव उप-महाल रायपुर झिकला, मोहाल रायपुर, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश में पैट्रोलियम पदार्थों (पी0 ओ0 एल0) के थोक भण्डारण के डिपो के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है। अतएव एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन करना अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. उपरोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, इस समय, इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने तथा सर्वेक्षण करने और उक्त द्वारा द्वारा अपेक्षित या अनुमत अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उपरोक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस (30) दिनों की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू-अर्जन समाहर्ता, (जिला समाहर्ता कार्यालय) ऊना के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है।

विवरणी

जिला : ऊना तहसील : ऊना

गांव	खसरा नं0	कुल रकबा (हैक्टेयर में)		
1	2	3	4	5
उप-महाल रायपुर झिकला	56	0	04	69
	58	0	00	82
	69	0	00	50
	69/1	0	05	10
	70	0	01	22
	72	0	08	43
	73	0	15	22
	74	0	00	46
	75	0	01	38
	76	0	08	93
	77	0	09	35
	77/1	0	00	16
	78	0	00	19
	79	0	01	31
	80	0	02	16
	81	0	00	34
	82	0	06	97
	83	0	01	02
	84	0	00	85
	85	0	00	36
	86	0	01	50
	87	0	01	50
	88	0	04	20
	89	0	05	08
	90	0	01	49
	91	0	00	12
	92	0	11	90
	93	0	05	38
	94	0	02	35
	95	0	05	72
	95/1	0	06	05
	96	0	13	34
	97	0	03	13
	98	0	01	69
	99	0	05	99
	100	0	09	69
	101	0	03	36
	102	0	14	41
	103	0	06	46
	104	0	05	40
	105	0	00	33
	106	0	00	88
	107	0	02	94
	108	0	04	56
	109	0	14	35
	110	0	13	53
	111	0	00	33
	112	0	20	67
	113	0	02	60
	114	0	03	51
	115	0	01	13
	116	0	00	80
	117	0	00	96
	118	0	05	40
	119	0	19	14
	120	0	00	44
	121	0	09	76
	122	0	01	60
	123	0	05	55
	124	0	03	70
	125	0	00	14
	126	0	01	19
	127	0	13	95
	128	0	15	65
	129	0	00	12
	130	0	00	10
	131	0	00	32
	132	0	14	37
	133	0	00	92
	134	0	09	18
	135	0	36	22
	136	0	00	49
	137	0	21	02
	138	0	11	06
	141	0	11	40
	142	0	11	92
	143	0	18	30
	144	0	08	65
	145	0	00	64
	146	0	00	24
	147	0	34	96
	147/1	0	34	51
	148	0	04	23
	149	0	01	28
	150	0	00	50
	151	0	02	20
	152	0	01	88
	153	0	00	91
	154	0	00	91
	155	0	01	95
	156	0	02	47
	157	0	00	38
	158	0	00	78
	159	0	00	70
	160	0	01	46
	161	0	01	89
	162	0	00	60
	163	0	02	94
	164	0	03	64
	165	0	01	04
	166	0	00	91
	167	0	00	53
	168	0	00	30
	169	0	01	42
	170	0	05	25
	171	0	08	10
	172	0	02	83
	173	0	00	94
	174	0	13	08
	175	0	02	25
	176	0	01	96
	177	0	00	72
	178	0	09	38
	179	0	00	46
	180	0	00	42
	181	0	01	98
	196	0	00	66
	197	0	02	40

1	2	3	4	5
	198	0	06	88
	199	0	00	47
	541	0	02	08
	544	0	00	14
	545	0	07	15
	546	0	15	19
	547	0	01	94
	548	0	02	88
	549	0	10	27
	550	0	02	32
	551	0	02	08
	552	0	38	60
	553	0	00	71
	554	0	00	22
	555	0	00	28
	556	0	06	81
	557	0	02	68
	558	0	00	53
	559	2	30	06
	2214	0	01	20
किता ..	138	9	36	52

आदेश द्वारा,

रण साहनी प्रर,
वित्तायुक्त एवं सचिव ।

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचनाएं

शिमला-2, 6 जनवरी, 1996

संख्या सिंचाई 11-39/93–किन्नौर.—यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन के लिए नामतः ग्राम सपीलो, तहसील पूह, जिला किन्नौर के स्टोरिंग हट, सपीलो के निर्माण के लिए भूमि ली जानी अपेक्षित है। अतएव एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित विस्तृत विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है ।

2. भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 के उपबन्धों के अधीन सभी सम्बन्धित व्यक्तियों की सूचना के लिए घोषणा की जाती है तथा उक्त अधिनियम की धारा 7 के उपबन्धों के अधीन समाहर्ता, भू-अर्जन, हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग, शिमला एवं किन्नौर स्थित रामपुर को उक्त भूमि के अर्जन के लिए आदेश लेने का एतद्द्वारा निदेश दिया जाता है ।

3. भूमि का रेखांक भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग, शिमला व किन्नौर स्थित रामपुर, हिमाचल प्रदेश के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है ।

विस्तृत विवरणी

जिला : किन्नौर तहसील : पूह

गांव	खसरा नं०	क्षेत्र हैक्टेयर में		
सपीलो के स्टोरिंग हट के निर्माण हेतु ।	947	0	04	20

यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन के लिए नामतः* हेतु भूमि ली जानी अपेक्षित है। अतएव एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित विस्तृत विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त* प्रयोजन के लिए अपेक्षित है ।

2. भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 के उपबन्धों के अधीन सभी सम्बन्धित व्यक्तियों की सूचना के लिए घोषणा की जाती है तथा उक्त अधिनियम की धारा 7 के उपबन्धों के अधीन समाहर्ता भू-अर्जन, हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग, हमीरपुर को उक्त भूमि के अर्जन के लिए आदेश लेने का एतद्द्वारा निदेश दिया जाता है ।

3. भूमि का रेखांक समाहर्ता भू-अर्जन, लोक निर्माण विभाग हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है ।

*गांव कुठेड़ा, तहसील अम्ब, जिला ऊना में उठाऊ सिंचाई योजना कुठेड़ा-खरैला के निर्माण के लिए ।

संख्या सिंचाई 11-12/95-ऊना

शिमला-2, 10 जनवरी, 1996.

विस्तृत विवरणी

जिला : ऊना तहसील : अम्ब

ग्राम	खसरा न०	क्षेत्र (कनाल मरले)	
उठाऊ सिंचाई जल योजना कुठेड़ा, खरैला जल गृह मौजा कुठेड़ा ।	18/2	0	13
	19/2	0	5
किता ..	2	0	18

*गांव मुबारिकपुर, तहसील अम्ब, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश में नलकूप संख्या 37 के निर्माण के लिए ।

संख्या सिंचाई 11-54/94-ऊना.

शिमला-2, 10 जनवरी, 1996.

गांव	खसरा न०	क्षेत्र (हैक्टेयर में)		
मुबारिकपुर	1000	0	03	92

तहसील : ऊना

*गांव समूरकलां, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश में नलकूप संख्या 17 के निर्माण के लिए ।

संख्या सिंचाई 11-15/95

शिमला-2, 10 जनवरी, 1996.

समूरकलां	889	0	06	68

*गांव संसोट, तहसील व जिला ऊना में नलकूप न० 66 के निर्माण के लिए ।

संख्या सिंचाई 11-14/95-ऊना

शिमला-2, 10 जनवरी, 1996.

संसोट	133/1	0	09	00

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित/-
वित्तायुक्त एवं सचिव ।

LABOUR AND EMPLOYMENT DEPARTMENT

NOTIFICATIONS

Shimla, the 15th January, 1996

No. 19-8-/90-Shram-Vol -IV-Loose.—In exercise of the power vested in him under section -17(1) of the industrial Disputes, Act, 1947, the Governor, Himachal

Pradesh is pleased to order the publication of the awards in the Rajpatra, Announced by the Presiding Officer, Labour Court in respect of the following cases :

Sl. No.	Case No.	Parties	Section	Remarks
1.	Ref-27/93	Pawan Kumar *v/s* Divisional Manager, HRTC, Shimla.	Sec.-10	For publications.
2.	Ref-148/93	Ram Krishan & 6 others *v/s* Sidhartha Super Spinning Mills Ltd., Nahal-Khera (Nalagarh).	-do-	-do- (Nalagarh)
3.	Ref-123/93	Hari Singh *v/s* M/s Prem Sagar &Sons., Mandi.	-do-	-do-
4.	Ref-152/93	Punu Ram *v/s* M/s Pharmanta Pharma B'odil, Takoli (Mandi).	-do-	-do-
5.	Ref-21/94	Mangal Singh *v/s* M/s Purewal & Associates Ltd., Jubbar, Solan.	-do-	-do-
6.	Ref-9/95	Grajesh Kumar *v/s* Executive Engineer, HPPWD, Palampur.	-do-	-do-
7.	Ref-8/95	Sarla Devi and others *v/s* M/s Patiala Tea Estate, Gopalpur, Teh. Palampur.	-do-	-do-
8.	R.F-29/92	Small Scale Workers Union *v/s* M.D.H.P. General Industries Corporation, Shimla and others.	-do-	-do-
9.	Ref-64/94	President, Harmonnates Employees Union *v/s* Manager, Harmonite Associates, Paonta.	-do-	-do-
10.	Ref-73/94	Rajinder Kumar *v/s* M/s Alesia Hotel, Kasauli.	-do-	-do-
11.	Ref-12/95	Labh Singh *v/s* Divisional Manager, HRTC, Shimla.	do-	-do-

By order,
S. S. SIDHU,
Financial Commissioner-cum-Secretary.

In the Court of Shri Mrigainder Singh, Presiding Judge, Himachal Pradesh Labour Court, Shimla Camp at Nahan

Reference No. : 27 of 1993
Instituted on : 27-1-1993
Decided on : 21-12-1995

Shri Pawan Kumar son of Shri Kishore Lal Sharma, V.P.O. Chowki Maniar, Tehsil Bangana, District Una .. *Petitioner.*

Versus

Divisional Manager, Himachal Road Transport Corporation, Shimla .. *Respondent.*

Reference under Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947.

For petitioner : Shri R. L. Garg, Advocate Counsel.

For respondent : Shri Ravinder Thakur, Advocate Counsel.

AWARD

The reference submitted to this Court by the appropriate government reads somewhat as below :

> "Is it legal, valid and justifiable on the part of the respondent to terminate the services of the petitioner Shri Pawan Kumar, Driver without adhering to the provisions of Section 25-F and without holding domestic enquiry despite his having served for 240 days in a year incontinuity from the date of his appointment."

2. The petitioner was appointed as driver on 15-2-1989. Thereafter his regularisation followed on 18-12-1989. He alledgely indulged in delinquent acts, misconduct, mis-demeanour and other a like misbehaviour. He is said to have caused accident after having been driven the vehicle under the influence of liquor. He was sacked from his services *vide* order Ex. P.C. dated 9-5-1991.

3. He was not proceeded against in furtherence of section 25-F of the Industrial Disputes Act 1947. It is also maintained on behalf of the petitioner that no other domestic enquiry was held against him. He has assailed his summary dismissal as an act of haste, bias, prejudice and a tained process followed by the respondent. All the allegations of misconduct, misbehaviour and delinquency are challanged to be an after thought having been coined by the respondent in order to out him from the service.

4. Finally, the petitioner seeks his re-instatement in service with backwages and all other incidental benefits.

5. The respondent repudiated all the contentions raised by the petitioner. According to the Corporation respondent, the petitioner indulged in repeated acts of misbehaviour in which he disobeyed his superiors, caused accidents after having been drunk and also repeated similar other instances of indiscipline. He is said to have been issued repeated warnings by the respondent. The petitioner was said to be on probation when he was removed from service for his negligent and delinquent behaviour.

6. The pleadings gave rise to the following issues, which were accordingly struck by my learned predecessor on 3-3-1994 :-

1. Whether the termination of the petitioner Shri Pawan Kumar is illegal and unjustified, as alleged ? If so, to what relief the petitioner is entitled to ? OPP.
2. Relief.

7. I have heard Mr. R. L. Garg, advocate counsel appearing for the petitioner, Shri Ravinder Thakur, advocate, counsel appearing for the respondent and also closely examined the entire record consisting of rival contentions of the parties, their evidence and other material. On the basis of this analytical examination of the record, the issue wise findings may be noticed thus :

Issue No. 1 :

8. Significantly, some of the material admissions ventured by the respondent on record are clearly evolving therefrom. They may be noticed here before the critical evaluation of the evidence and pleadings. The respondent unequivocally admitted that the petitioner is a workman. They further admitted in their reply that the Corporation is an industry. Further also, the respondent did not lose any time to admit that the petitioner stands acquitted of the charge of negligent driving by the Learned

Additional District and Sessions Judge, Sirmaur at Nahan, who heard his (Petitioner's) appeal. Employment of the petitioner under the respondent from the date of the appointment given to him (petitioner) is also not a matter of discord or controversy.

9. The most prominent fact, impression and conclusion emerging from the scrutiny of the record are that respondent never held any such enquiry as was required under the Industrial Disputes Act, before the termination of the service of the workman like the petitioner. No such domestic enquiry, departmental charge-sheet or any other procedural proceedings under the CCS (CCA) rules was never initiated or instituted against him. These aspects are also admitted facts between the parties. The only question to be determined now in these proceedings is as to whether the petitioner could be terminated, sacked or removed from service without adhering to the provisions of the Industrial Disputes Act. The petitioner being a workman was essentially required to be dealt with under the provisions of section 25-F of the Act. The respondent was statutorily under an obligation tocomply with the said provisions of section 25-F. Before further analytical appraisal of the matter in this behalf is undertaken, I would like to refer to the provisions of this section here.

10. Section 25-F, contains in it some mandatory directions, imperative compliance and compulsory adherence to some of the conditions before the removal, retrenchment or termination of the service of a workman who has completed 240 days in one year in continuity of his service under any employer holding or owing any industry. This section reads :—

"25-F. Conditions precedent to retrenchment of workmen. No workman employed in an industry who has been continuous service for not less than one year under an empoyer shall be retrenched by that employer untill—

(*a*) the workmen has been given one month's notice in writing indicating the reasons for retrenchment and the period of notice has expired or the workman has been paid in lieu of such notice wages for the period of the notice:

(*b*) the workman has been paid at the time of retrenchment, compensation which shall be equivalent to fifteen days' average pay for every completed year of continuous service or any part thereof in excess of six months; and

(*c*) notice in the prescribed manner is served on the appropriate government of such authority as may be specified by the appropriate Government by notificaton in the Official Gazette."

11. In the instant case, the petitioner was admittedly holding an incumbancy of a driver in continuous service ever since his appointment on 15-2-1989. He has also admittedly served for more than 240 days in each year till his termination. The respondent has never served upon him one month's notice in writing indicating the reasons of his termination or retrenchment. In lieu of such a notice he has also not been paid one months' wages or salary. So much so that the retrenchment compensation as required under sub section (*b*) of section 25-F *ibid* after due calculation as envisaged thereunder has also not been paid. In fact, the respondent's case is not based on any of these facts. The corporation did not disclose that ever endeavoured to comply with the statutory provisions of this section before the termination of the service. Therefore, there is no impediment to conclude here that the respondent has flagrently violated, blatently breached and overtly acted in opposition to the statutory provisons of this section.

12. Apparently, the act of the respondent by issuing order of removal of the petitioner from srevice Ex. P. C. is a nullity, *void-abinitio* nonest being wholly in contravention with section 25-F, by which both the parties are governed. It does not stand the test of the legal provisions as contained in the said section.

13. Mr. Ravinder Thakur Advocate counsel for the respondent has convassed before me that the conduct of the petitioner was balligerent, delinquent, defiant and obstructive which led to his discharge from service during his probation period as per terms and conditions of Ex. P.A. an order of his regularisation. I have heard him patiently. In fact all the documents like Ex. R-1 to Ex. R-6 are the complaints which contained an *ex-parte* version against the petitioner. These complaints have never been put to contest, trial or due appraisal after giving opportunity to the petitioner. In fact it is the case of the petitioner that all these complaints are manufactured, trumped up and got tailored by the respondent in order to ensure his (petitioner) termination from service.

14. So far as the charge of neglegence in causing accident during employment by the petitioner is concerned, he stands acquitted as per judgment Ex. P.E. This acquittal of him proves that the charge of rash and negligent driving by the petitioner could not be substantiated by the respondent. Be that as it may, the fact as argued or relied upon on behalf of the respondent constitute a serious allegation of misconduct, misdemeanour and delinquency. In totallity these allegations do tend to cast a stigma or blemish on the petitioner. Once the contentions or the allegations raised such kind of stigma on the workman or a civil servant during his employment, the petitioner being a workman or a civil servant required to be chargesheeted inescapably irrespective of his being on probation or post confirmation. I may notice here that the domain of CCS (CCA) Rules, is not attracted to these proceedings under the Industrial Disputes Act but since point was mooted before me which certainly required to be dealt with.

15. Suffice to say that even if the contention raised by Mr. Thakur is taken into consideration, he failed on this account also as observed *supra*. It it a very triet law under the service jurispudence that even during probation the services of an employee or a public servant cannot be dispensed with if such an act of termination generates, causes , tends to conveys an impression of stigma with regard to his character, reputation and moral. In short, if an employee's conduct itself is at stake by an act of discharge during probation, he cannot be terminated until or unless a full fledged proceedings as warranted under the CCS (CCA) Rules are held notwithstanding the continuity of the probation period. Therefore, the petitioner in the instant case could not have been summarily removed or terminated because the misconduct and delinquency attributed to him did cast a stigma or blemish on him.

16. The contention on behalf of the respondent convassed by his counsel Mr. Thakur is thus found to be devoid for any merit and substance. This issue is decided against the respondent.

Relief :

17. The reference petition succeeds. I accordingly order re-instatement of the petitioner from the date of his removal from service with full back wages, financial benefits, service perks, allowances and other colateral benefits which may have accrued to him till date from the date of his removal with continuity of service throughout. The respondent is further ordered to induct him back or reinstate him forthwith with full payment of all these benefits immediately on the production of copy of this judgement, which be provided dasti. Also a copy of this judgment be sent to the appropriate government under section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 for its publication.

Announced in the Open Court today this 21st day of December, 1995.

Seal. MRIGAINDER SINGH,
Presiding Judge,
Himachal Pradesh Labour Court, Shimla Cempat Nahan.

In the Court of Shri Mrigainder Singh, Presiding Judge, Himachal Pradesh Labour Court, Shimla

Ref. No. : 148/93.

1. Shri Ram Kishan son of Shri Rasila Ram, C/o Shri J.C. Bhardwaj, Saproon, Solan , H. P.

Versus

Sidhartha Super Spinning Mills Ltd., Nihal-Khera (Nalagarh), District Solan.

Ref. No. : 149/93.

2. Sikender Singh son of Shri Devi Singh, r/o Kulhari, P.O. Kalibarhi, Tehsil Nalagarh, District Solan.

Versus

Sidhartha Super Spinning Mills Ltd., Nihal-Khera (Nalagarh), District Solan.

Ref. No. 150/93

3. Baldev Singh son of Shri Ram Prakash, Village Sanehar, P.O. Manpura, Tehsil Nalagarh, District Solan.

Versus

Sidhartha Super Spinning Mills Ltd., Nihal-Khera (Nalagarh). District Solan.

Ref. No. 151/93

4. Ved Raj son of Shri Sant Ram, r/o Village Sarera, P.O. Golapanner, Teshil Nalagarh, District Solan.

Versus

Sidhartha Super Spinning Mills Ltd., Nihal-Khera (Nalagarh), District Solan.

Ref. No. 3/94

5. Phaninder Ranjan son of Sh. Vidya Nand, C/o Shri J. C. Bhardwaj, Saproon, Solan.

Versus

Sidhartha Super Spinning Mills Ltd., Nihal-Khera (Nalagarh), District Solan.

Ref. No. 4/94

6. Suresh Kumar son of Shri Mewa Lal, C/o Shri J. C. Bhardwaj, Saproon, District Solan.

Versus

Sidhartha Super Spinning Mills Ltd., Nihal-Khera (Nalagarh), District Solan.

Ref. No. 5/94

7. Som Nath son of Shri Mohinder Singh C/o Shri J. C. Bhardwaj, Saproon, District Solan.

Versus

Sidhartha Super Spinning Mills Ltd., Nihal-Khera (Nalagarh), District Solan.

Reference under Section 10 *of the Industrial Disputes Act*, 1947.

For petitioner : Shri J. C. Bhardeaj, AR.

For respondent : Shri M. M. Kaushal, Advocate counsel.

AWARD

This bunch of seven references received from appropriate government through their duly appointed and authorised officer *viz*. Labour Commissioner, Himachal Pradesh, contains similar and identical facts based on the same narrative or occurrence in terms of termination of services or retrenchment of the workman (petitioner). The entire facts, pleadings, narrative, evidence and proof brought on record by each of the petitioner are wholly identical and similar. Therefore, all these petitions can be conveniently disposed of by a common award.

2. Essentially, the bone of contention raised by the manual workers of the management is trigered from the termination of their services by the respondent. In that behalf brief resume of the facts may be noticed here. All the petitioners are members of a registered trade union known as ALL INDIA TRADE UNION CONGRESS (AITUC). The mangement-respondent did not relish their (petitioners) participation in the trade union activities. According to the petitioner, the respondent resorted to un-fair labour practice by stopping his (petitioner) entry through the main entrance gate into the factory premises inside *w.e.f.* 4-7-1993. The respondent allegedly did not allow him to have access into the premises which resulted into his forced absence *w. e. f.* 4-7-1993. The respondent proceeded to terminate the services and secured the unlawful ouster of the petitioner.

3. The petitioner also continued to maintain that this unlawful act of the respondent constituted to breach of Section 25-F of the Industrial Disputes Act, 1947 and he was entitled to be re-instated as workman *w.e.f.* 4-7-1993 with payment of back wages and other collateral benefits thereof.

4. The management-respondent resisted this claim. They repudiated the aforesaid factual position presented by the aggrieved workman. They also assailed the constitution of the reference to be bad in law. The *locus-standi* of the Labour Commissioner to present the reference before this Court for determination has also been challenged. The termination of the services of the petitoner is further reiterated to be legal, lawful, valid and warranted under the facts and circumstances and law applicable thereunder.

5. On merits, the management-respondent further unfolded that the petitioner himself abandoned his employment notwithstanding demand or request made by the management to resume his duties *w.e.f.* 10-7-1993, 12-7-93 and 14-7-1993 respectively. The petitioner is said to have himself opted to abstain from attending to work *w.e.f.* 4-7-1993. The management also came up with the explanation that they adhered to the provisions of Section 25-F of the act.

6. Upon these pleadings, the following identical issues were framed in all the reference-files by my learned predecessor in office :—

1. Whether the termination of the petitioner by the respondent on 4-7-1993 is illegal and unjustified ? If so, to what relief the petitioner is entitled ? OPA

2. Whether the petitioner had abandoned the job himself ? OPR

3. Whether the reference, in question, is not maintainable and valid for the reasons mentioned in preliminary objections 1, 2, 3 & 5 ? OPR

4. Whether petitioner now gainfully employed with some other employer, as alleged ? If so, its effect ? OPR.

5. Relief.

7. Thereafter the parties were afforded ample opportunities to adduce evidence in support of their respective contentions or stands. Accordingly, both of them examined oral and documentary evidence on record. On the basis of their pleadings, proof, evidence and other material brought on record, the issue-wise findings may be set out thus :

Issue No. 1 and 2 :

8. The substantive proposal formulated under both these issues is the same because it has emanated from the factual narratives pleaded and countered by the rival parties. Accordingly, both the issues are taken up together for determination.

9. The fact remains that the petitioner has been recorded absent from 4-7-1993. According to the management-respondent he *suo-motu* opted to abstain from attending to his duty ins de the factory. On the contrary, the petitioner overtly came up with the predom nent solitary plea that the management adopted criminally un-fair labour practice in closing the main gate of the factory premises and there by forcing him to remain outside, leading to his resultant absentation. It is also the case of the petitioner that the management was enraged because of the simple fact that he (petitioner) became the member of AITUC union.

10. I have closely scanned and analyzed this factual positon with the help of peladings and proof brought and adduced on record. It is no body's brief at the behest of the management-respondent that there was a kind of trade union upheveal, workmen strike, any other resentment or estrangement between the management and workmen, lock-out by the management, agitational posture adopted by the workmen and/or any other kind of irksome attitude adopted by the petitioner or by the workmen as a whole. There would have been an occasion for the petioner to abstain from duties by their strike or agitation or otherwise as a token of his resentment. Without any of the aforesaid reasons or grounds, there was no opportunity or logic for the petitioner or any of them to have chosen to abstain from duties or abandon his employment in this era of hyper inflation and scarcity of employment. Therefore, no ordinary prudent man having ordinary common sense would agree with the plea of the management that the petitioner offered to abandon his employment *suo-motu w.e.f.* 4-7-1993.

11. Admittedly, the petitioner has been marked absent from 4-7-1993. The record like Ex. RW-3/B, in view of my opinion in the proceeding para is wholy sham, frivolous and concocted with the object and aim to show that they were absenting voluntarily from the said date. In fact, the petitioner neither abandoned his employment nor was he inclined to absent from duties nor did he intend to escape from the participation of his employment. The evidence of each of them is elaborative, cogent, credible and trust worthy. Whatever they deposed was a factual reality. He maintained on oath as his own witness that the management-respondent became jittery simply on the ground that they opted to join AITUC trade union. As a retaliatory measure, the petitioner further maintained on oath, the management proceeded to sack him after concocting his absence *w. e. f.* 4-7-1993. The evidence so adduced on his behalf can be legally made the basis of a truthful determination of the discord in between the parties.

12. Curiously, the record substantiate a finding that the management-respondent assumed a totalitarian power, competence or authority to sack or terminate the petitioner without due adherence to the provisions of the Industrial Disputes Act. Here, I would hasten to notice section 25-F of the Act. It reads: -

"25 F. Conditions precedent to retrenchment of workmen. No workman employed in an industry who *has been in continuous service* for not less than one year under an employer shall be retrenched by that employer until

(*a*) the workmen has been given one month's notice in writing indicating the reasons for retrenchment and the period of notice has expired or the workman has been paid in lieu of such notice wages for the period of the notice;

(*b*) th e workman has been paid at the time of retrenchment, compensation which shall be equivalent to fifteen days' average pay for every completed year of continuous service or any part thereof in excess of six months; and

(*c*) notice in the prescribed manner is served on the appropriate Government of such authority as may be specified by the appropriate Government by notification in the official Gazette."

13. The parties are at consensus that the petitioner was a workman with the respondent in a continuous srevice for not less than one year. In such an eventuality, Section 25-F *ibid* imperatively required the management-respondent to serve one month notice in writing indicating the reasons for retrenchment. This obligation could be waived by them (management) only if the petitioner was paid wages in lieu of notices for the period of one month. The second mandate cast on the management was to calculate and thereafter make payment of the compensation for the retrenchment, if any, *qua* the petitioner in accordance with the terms and condition enumerated in Section 25-F supra.

14. Plainly it is manifest on record that the management-respondent has not chosen to adhere to or fulfil or comply with any of these mandatory requirements of the law. The entire action initiated by them against the petitioner deserves to be set-aside or nullified only on this short ground.

15. An attempt was made on behalf of the management-resopndent that letters issued in terms of E.RW-3/C and Ex.RW-3/D may be treated or deemed to be the compliance of Section 25-F, *ibid*. I woud like to refer to the contents, text and tenor of these letters as to whether they are in confirmity with the spirit and intendment of Section 25-F or not. So far as Ex. RW/C is concerned it refers to some other earlier letter or correspondence eminated from the management towards the petitioner. No such letternumber, day, date, month or year of that earlier letter or correspondence find mentioned in Ex. RW-3/C. It is a sweeping and an evasive kind of reference with no categoric, specific or definite meution of either of the details noticed hereinabove. The management by this letter Ex.RW-3/C, appears to have reaped a premium on their own deeds and circumstances by creating an ostensible abandonment of the employment at the behest of the petitioner. This is impermissible under law. Therefore, from the very tenor, temper, text and totality of letter Ex. RW-3/C, it appears that the management-respondent intended to create such kind of facts and circumtances,which could be pressed into service by them at the appropriate time to show semblance of the grounds needed under Section 25-F *ibid* to cause ouster of the petitioner. I am not inclined to rely on such an ambiguous, evasive and incredible document.

16. Exactly similar is the case with letter Ex. RW-3/D, dated 14-7-1993. It is on similar lines and disclosures. In verbatim its contents and texts are the same.Therefore, this also is of no sequel as to the fulfilment of the requirement or compliance of Section 25-F *ibid.*

17. It is, thus, writ large on record that the management-respondent acted clearly in violation of this section in causing termination or sack of the workman-petitioner. Both these letters will not be construed in a manner as to assume the compliance of the said provisions of the act to secure the termination of his service. Also, the plea taken up by the management that the petitioner jettisoned or abandoned his employment *suo-motu* has been found to be factually wrong unsubstantia-

ted and innocuous as observed *supra*. Therefore, both these issues are decided in favour of the petitioner.

Issue No. 3:

18. Shri M. M. Kaushal, advocate appearing on behalf of the management-respondent convassed that the reference submitted to this Court for decision has been framed, formulated or constituted factually wrong. He further submitted that the date of termination of the petitioner as mentioned thereunder in the reference is 4-7-1993, whereas infact the petitioners stood sacked or terminated on 4-7-1993, 10-7-1993, 12-7-1993 and 14-7-1993. And that being so, this reference could not be adjudicated upon by this Court and further deserved to be returned back after having been quashed for reformulation by the appropriate authority or government, if it so chooses again. After due consideration of the matter, I am afraid that the learned counsel will not be in a position to capitalize his point.

19. It is very trite law that for ascertaining the kernel of the controversy, one has to look into its substance and not the form. Stray citations here and there will not be the decisive factor. It remains a stark reality that the petitioner was recorded to be absent *w.e.f.* 4-7-1993. For all purposes, intents and implications, the termination of service for him started from 4-7-1993 when he was forbidden to have his access into the premises to attend to his daily duties. Simply because the management thereafter indulged in coinage and drafted unmeaningful and ambiguous letters like Ex. RW-3/C and Ex. RW-3/D, dated 4-7-1993, 10-7-1993, 12-7-1993 and 14-7-1993, will not give rise to an unrelated conclusion with regard to the termination of his services on the dates mentioned in them. This is a candid and clandestine attempt to defeat the very cause agitated by the petitioner on a hyper technical ground having no nexus with the ground realities emerging from the evidence adduced during the trial of the reference.

20. The stark reality is that the management succeeded in forbidding the petitioner from performing his employment *w.e.f.* 4-7-1993. The letters Ex. RW-3/C, and Ex. RW-3/D, emenated from the management itself. They could insert any date on them. These letters have already been held to be not in consonance with the legal mandate of Section 25-F. So much so, that the very service of the se letters on the petitioner has not been proved on record. Besides the incorporation of the date in them is not material or significant for inferring the actual and effective termination of the petitioner. To repeat the said date is decisively to be reckoned from 4-7-1993. In such a scenario, the reference received from the Labour Commissioner for adjudication in this Court is wholly legal, validly constituted and properly drafted. There is no misgiving about it to either of the parties or the court itself.

21. Accordingly, this contention urged on behalf of the respondent is found to be devoid of any substance or legality.

22. Mr. Kaushal learned counsel for the respondent has not advanced his arguments on any of the preliminary objections contained in Paras No. 2 to 5 of the reply. On these preliminary objections, he remained tight lipped. However, on my own scrutiny of the record and the corresponding legal provisions as contained in the act, I find no fault with the said reference. The references dated 2-12-1993 on the basis of which trial commenced on them face value, are labour properly constituted. The very notifications conferring the competence and power on the Commissioner to submit them to this Court have been definitely and concisely referred to thereunder. He assumed the competence to submit this reference in furtherence of the notification No. 19-8/89-Labour (Loose) dated 7-9-1992 read with Sections 7 and 10 of the act conferring this power upon him. Accordingly, I could not lay my hand on any provision which divested the said Labour Commissioner of the power to serve or submit such a reference to this Court.

23. Hence, this issue is also decided against the respondent.

Issue No. 4 :

24. There is not even an *iota* of evidence indicating at any such employment ever secured or continued by the petitioner after his termination *w.e.f.* 4-7-1993. It is not evidenced on record. Accordingly, I hasten to decide this issue against the respondent.

Relief :

25. In view of the issue-wise findings above, hereby order re-instatement of the workman-petitioner retrospectively from 4-7-1993 with full and complete back wages according to the entitlement coupled with the continuance of un-interrupted seniority till date. He is also entitled to all incidental benefits such as enhancement of pay, sanction of bonus or any other financial benefit whatsoever admissible till date. Let a copy of award be placed on each case file above. Let a copy of this award be depatched to the appropriate government for its publication under Secion 17 of the Act forthwith. This be consigned to record room after its completion.

Announced in the Open Court today this 15th day of Novembe, 1995.

Seal. MRIGAINDER SINGH,
Presiding Judge,
Himachal Pradesh Labour Court, Shimla.

In the Court of Shri Mrigainder Singh, Presiding Judge, Himachal Pradesh Industrial Tribunal-cum-Labour Court, Shimla

No. Ref-123/93.

Hari Singh

v/s

M/s Prem Sagar & Sons, Mandi.

17-11-1995—Present : None for the petitioner.
Shri R. L. Kaith, Counsel for the respondent.

ORDER

The case called thrice. Waited for ten minutes. It is 12.30 P.M. Still none appeared for the petitioner. Hence, the petition is dismissed in default for appearance of the petitioner. The file be consigned for record room after completion.

Seal. MRIGAINDER SINGH,
Presiding Judge,
Labour Court.

In the Court of Shri Mrigainder Singh, Presiding Judge, Himachal Pradesh Industrial Tribunal-cum-Labour Court, Shimla

No. Ref-152/93

Punu Ram

v/s

M/s Pharmanta Pharma, Biodil Takoli, Mandi.

17-11-1995 : Present : None for petitioner.

Shri Surinder Kumar, Counsel for the respondent.

ORDER

The case called thrice. Waited for ten minutes. It is 12.45 P.M. None appeared for the petitioner. Hence, the petition is dismissed in default for appearance of the

petitioner. The file be consigned to record room after completion.

Seal. MRIGAINDER SINGH,

Presiding Judge,
Labour Court.

In the Court of Shri Mrigainder Singh, Presiding Judge, Himachal Pradesh Industrial Tribunal-cum-Labour Court, Shimla

No. Ref-21/94.

Mangal Singh

v/s

M/s Purewal & Associates Ltd. Jubbar, Solan.

20-11-1995—Present : None.

The case called thrice. Waited for ten minutes. But, none appeared for the petitioner. It is 12.40 P.M. Hence, the petition is dismissed for default of the petitiner. The file be consigned to record room after its completion.

Seal. MRIGAINDER SINGH.

Presiding Judge.
Labour Court Camp at Solan.

In the Court of Shri Mrigainder Singh, Presiding Judge, Himachal Pradesh Industrial Tribunal-Cum-Labour Court, Shimla.

Ref-9/95

Garjesh Kumar

v/s

Executive Engineer, H.P.P.W.D., Palampur, Distt. Kangra.

13-12-1995—Shri Ajai Dogra, AR for the petitioner.

Shri Parkash Mishra, Respondent in person.

ORDER

The petitioner Shri Garjesh Kumar has given a statement on oath today that he withdraws his reference petition subject to his employment/engagement as beldar by the respondent forthwith. The respondent Sh. Parkash Mishra, Executive Engineer has given his statement on oath to day. He acquiesced to the statement given on oath by the petitioner. He undertakes to engage/employ the petitioner as beldar *w.e.f.* 1-1-1996 on daily wages.

In view of the statements made by the parties above, I proceed to dismiss the reference petition subject to the condition that the respondent shall engage the petitioner as beldar, on daily wages *w.e.f.* 1-1-1996 onwards. In case of any breach of this order, the reference petition shall automatically be revived in addition to the coercive measures of violation of the order. File be consigned to record room after its completion.

Seal. MRIGAINDER SINGH,

Presiding Judge,
Labour Court Camp at Palampur.

In the Court of Shri Mrigainder Singh, Presiding Judge, Himachal Pradesh Industrial Tribunal-cum-Labour Court, Shimla

Ref-8/95.

Sarla Devi & Others.

v/s

M/s Patiala Tea Etate, Gopapur, Teh. Palampur.

13-12-1995 Present: Petitioner in person.
Shri P. C. Bhadwal, AR for the respondent.

ORDER

The parties have amicably settled the matter between themselves. The petitioner gave a statement on oath that she has compromised the matter with the respondent and sought the dismissal of the reference petition. In view of the statement made by her, the reference petition stands dismissed as having been settled amicably in between the parties. The file after its completion be consigned to record room.

Seal. MRIGAINDER SINGH,

Presiding Judge,
Labour Court.

In the Court of Shri Mrigainder Singh, Presiding Judge, Himachal Pradesh, Labour Court-cum-Industral Tibunal, Shimla

Ref-29/92

Small Scale Workers Union

v/s

Himachal Pradesh General Industries Corporation, Shimla & Others.

7-12-1995—Present : None.

ORDER

The parties are absent despite having been served in person. They have been waited for half an hour. Therefore, the case is dismissed for default of the presence of the petitioner. The file be consigned to record room, after its completion.

Seal. MRIGAINDER SINGH,

Presidng Judge,
Labour Court.

In the Court of Shri Mrigainder Singh, Presiding Judge, Himachal Pradesh, Industrial Tibunal-cum-Labour Court, Shimla

Ref-64/94.

President, Harmonet Asociates Employees Unoin,

v/s

Manager, Harmonite Associates, Paonta Sahib.

19-10-1995 Pesent : None.

The case called thrice. Waited for ten minutes. It is 12.10 P.M. The petition is dismissed for default of the petitioner. This file be consigned to record room after completion.

Seal. MRIGAINDER SINGH.

Presiding Judge.
Labour Court Camp at Paonta.

In the Court of Shri Mrigainder Singh, Presiding Judge, Himachal Pradesh Industrial Tribunal-cum-Labour Court, Shimla

Ref-73/94

Rajinder Kumar

v/s

M/S Alesia Hotels, Kasauli.

27-12-1995 : Shri J. C. Bhardwaj, AR for the petitioner.
None for the respondent.

The representative of the petitioner Shri J. C. Bhardwaj has given a statement today that the entire matter has been amicably settled, the petitioner has been reinstated with continuity of service and payment of back wages. In view of the statement of the representative of the petitioner, the petition stands dismissed as having been fully satisfied amicably. The file after its completion be consigned to the record room.

Seal. Sd/-
Presding Judge,
Labour Court, 27-12-1995, Camp Solan.

In the Court of Shri Mrigainder Singh, Presiding Judge, Himachal Pradesh Industrial, Tribunal-cum-Labour Court, Shimla

No. Ref.-12/95

Labh Singh

v/s

Divisional Manager, HRTC, Shimla.

8-12-1995—Present : None.

Be awaited.

Sd/-
Presiding Judge,
Labour Court, 8-12-1995.

8-12-1995 : Present : None for the petitioner
Shri R.S. Thakur, Advocate for the respondent.

ORDER

Petitioner despite having been served in person preferred not to appear. The case called thrice. Waited for an hour. Hence, the reference is dismissed for default of the appearance of the petitioner. The file be consigned to record room after its completion.

Sd/-

Seal.

Presiding Judge,
Labour Court, 8-12-1995.

लोक निर्माण विभाग

अधिसूचनाएं

शिमला-2, 6 जनवरी, 1996

संख्या लो0 नि0 (ख)7(1)163/95.—यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु, नामतः गांव टीहरा, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर में सुजानपुर-चौरी-नगदेवी-उहल सड़क के निर्माण हेतु भूमि ली जानी अपेक्षित है, अतएव एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि नीचे विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है।

2. यह घोषणा, भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों की सूचना हेतु की जाती है तथा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग, हमीरपुर को उक्त भूमि का अर्जन करने के आदेश लेने का एतद्द्वारा निर्देश दिया जाता है।

3. भूमि का रेखांक, भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग, हमीरपुर के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है।

विवरणी

जिला : हमीरपुर तहसील : सुजानपुर

गांव	खसरा नं0	क्षेत्र (कि0 मं0)	
टीहरा	258/1	0	6
	260/2	4	1
	261/1	1	1
	274/1	1	16
	287/2	0	16
	289/1	1	4
	310/1	1	9
	312/2	4	3
किता ..	8	14	16

शिमला-2, 27 दिसम्बर, 1995

संख्या लो0 नि0 (ख)7(1)167/94.—यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव कल्पा, युवारंगी, रिकांग पिओ, खेवंगी व चिनी, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर में रिकांग-पिओ कल्पा वाया युवारंगी (क्रैश प्रोग्राम) सम्पर्क सड़क के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है। अतएव एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों, उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित या अनुमत अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन करने पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस (30) दिन की अवधि के भीतर लिखित रूप से भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग, रामपुर बुशैहर के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है।

विवरणी

जिला : किन्नौर तहसील : कल्पा

गांव	खसरा नं0	रकबा (बीघों में)		
1	2	3	4	5
युवारंगी	555	0	07	22
	556	0	49	72
	557	0	11	86
	547	0	21	71
	726/577	0	03	51
	564	0	00	52
	698/586	0	01	23

1	2	3	4	5
	587	0	01	00
	130	0	18	56
	550	0	03	56
	143	0	00	68
	144	0	07	79
	145	0	02	96
	143	0	00	71
	675/50	0	04	30
	43	0	31	56
	46	0	03	68
	48	0	25	68
	30	0	41	33
	33	0	20	20
	49	0	05	77
	32	0	19	89
	56	0	53	60
	44	0	07	82
	41	0	42	63
	52	0	11	58
	54	0	04	79
	553/1	0	10	10
	570	0	05	60
	571	0	10	18
	138	0	16	91
	553	0	03	20
	708/591	0	13	22
	138	0	06	39
किता ..	34	4	69	73
कल्पा	283	0	43	40
	293	0	03	28
	693	0	06	87
	692	0	24	85
	697	0	01	57
	699	0	02	60
	732	0	13	14
	698	0	01	40
	286	0	50	55
	726	0	02	78
	717	0	01	32
	289	0	20	78
	290	0	01	95
	1183/694	0	09	32
	705	0	01	10
	706	0	06	45
	708	0	02	81
	291	0	01	32
	294	0	00	90
	691	0	03	26
	715	0	01	38
	718	0	00	90
	721	1	33	40
	727	0	34	81
	695	0	06	75
	687	0	00	35
	714	0	05	79
	700	0	07	23
	666	0	06	48
	665	0	06	87
	664	0	00	86
	668	0	27	94
	669	0	02	49
	670	0	01	28
	688	0	01	96
	733	0	01	08
	703	0	02	97
	676	0	03	54

1	2	3	4	5
	689	0	09	36
किता ..	39	4	46	06
रिकाग पिया	137	0	01	21
	805/131	0	03	92
	804/131	0	01	35
	116	0	03	60
	119	0	01	59
	120	0	01	95
	121	0	01	95
	88	0	24	13
	89	0	07	04
	90	0	16	00
	26	0	03	63
	835/74	0	01	42
	836/74	0	02	70
	823/48	0	44	11
	687	0	02	02
	126	0	01	24
	66	0	01	92
	64	0	00	90
	63	0	02	16
	62	0	01	47
	125	0	01	33
	69	0	28	45
	839/87	0	57	34
	114	0	07	50
	117	0	06	73
	816/610	0	23	77
	688	0	22	03
	67	0	35	05
	102	0	09	88
	103	0	16	63
	591	0	23	25
	86	0	08	22
	53	0	03	03
किता ..	33	3	67	63
बेलगां	251	0	01	22
	254	0	13	29
	255	0	00	26
	257	0	01	58
	250	0	08	70
	262	0	08	70
	253	0	07	85
	258	0	07	00
किता ..	8	0	49	50
चिंता	1	4	55	93
	3	0	83	28
	7	10	12	36
	6	0	78	56
किता ..	4	16	30	13

शिमला-2, 13 दिसम्बर, 1995

संख्या लो0 नि0 (ख) 7(1)-134/91.—यत: हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामत: गांव छनवाड़ी, तहसील सदर, जिला मण्डी में मण्डी-कहनवाल सड़क के निर्माण हेतु भूमि ली जानी अपेक्षित है। अतएव एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि नीचे विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है।

2. यह घोषणा भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों की सूचना

हेतु की जाती है तथा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग, मण्डी, हिमाचल प्रदेश को उक्त भूमि के अर्जन करने के आदेश लेने का एतद्द्वारा निदेश दिया जाता है।

3. भूमि का रेखांक भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग, के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है।

विवरणी

जिला : मण्डी तहसील : सदर

गांव	खसरा नं०	क्षेत्र बीघा में		
1	2	3	4	5
छनवाड़ी/347	234/1	0	19	04
	235/1	0	00	15
	236/1	0	00	12
	210/1	0	02	00
	213/1	0	02	11
	172/1	0	04	16
	1073/173/1	0	03	04
	222/1	0	00	16
	1072/173/1	0	00	14
	6/1	0	00	07
	208/1	0	15	08
	10/1	0	00	07
	211/1	0	00	09
	223/1	0	00	10
	54/1	0	04	15
	202/1	0	10	15
	9/1	0	01	06
	196/1	0	01	01
	209/1	0	07	02
	8/1	0	08	19
	53/1	0	03	08
	195/1	0	04	13
	214/1	0	00	17
	233/1	0	00	12
	15/1	0	01	16
	171/1	0	00	16
	224/1/1	0	00	14
	228/1	0	00	13
	243/1	0	01	04
	230/1	0	00	08
	170/1/1	1	02	00
	204/1/1	0	06	11
	170/1	1	01	09
	84/1	0	01	12
	86/1	0	01	08
	50/1	0	00	12
	51/1	0	00	18
	52/1	0	00	16
	184/1	0	07	17
	350/1	0	01	06
	1/1	0	07	11
	2/1	0	04	00
	349/1	1	08	10
	352/1	1	00	12
किता ..	44	11	14	14

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः* भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त* प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों, उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित या अनुमत अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस (30) दिन की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग, मण्डी के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है।

*गांव कांगू, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी में कांगू-डहर लिंक सड़क के निर्माण हेतु।

संख्या पी० डी० डब्ल्यू०(बी० ए०) 7(1) 1-334/95.

शिमला-2, 20 दिसम्बर, 1995.

विवरणी

जिला: मण्डी तहसील सुन्दरनगर

गांव	खसरा नं०	क्षेत्र बीघों में		
1	2	3	4	5
कांगू	306	0	14	6

*गांव केरन, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी में सुन्दरनगर-मेरी-कोठी सड़क के निर्माण हेतु।

संख्या पी० डी० डब्ल्यू०-बी० ए० (7) 1-216/95.

शिमला-2, 1 जनवरी, 1996.

केरन/23	293/51/1	0	00	13
	294/51/1	0	00	07
	82/1	0	03	11
	83/1	0	00	11
	84/1	0	00	04
	95/1	0	00	16
	96/1	0	00	07
	106/1	0	00	08
	132/1	0	00	04
	133/1	0	00	09
	134/1	0	02	12
	136/1	0	00	07
	137/1	0	00	11
	138/1	0	00	06
	139/1	0	02	02
	143/1	0	12	08
	142/1	0	05	04
	267/194/1	0	14	14
	269/197/1	0	01	03
	202/1	0	01	04
	205/1	0	05	08
	272/232/1	0	04	00
	208/1	0	04	18
	250/1	0	19	00
किता ..	24	4	01	07

तहसील : सरकाघाट

*गांव जुकैन, तहसील सरकाघाट, जिला मण्डी में नवाही-चम्यानु सड़क के निर्माण हेतु।

संख्या पी० डी० ड०-(बी०) ए०(7) 1-10/94.

शिमला-2, 8 जनवरी, 1996.

जुकैन/369	174/1	0	03	22
	173/1	0	03	41
	175/1	0	01	24
	171/1	0	03	97

1	2	3	4	5
	162/1	0	02	37
	163/1	0	00	47
	164/1	0	01	72
	165/1	0	04	47
	161/1	0	00	60
	167/1	0	01	89
	562/1	0	00	65
	563	0	00	14
	543/1	0	00	05
	564/1	0	00	36
	565/1	0	00	91
	559/1	0	02	97
	665/1/1	0	01	20
	622	0	01	84
	628/1	0	00	16
	629/1	0	01	53
	633	0	01	09
	632	0	00	89
	635/1	0	00	60
	641/1	0	01	72
	640/1	0	01	22
	644	0	01	65
	645/1	0	00	22
	643/1	0	00	30
	652/1	0	00	57
	652/1	0	00	43
	653/1	0	00	37
	655	0	00	66
	656/1	0	00	17
	654/1	0	00	31
	731	0	00	38
	733	0	00	30
	732	0	00	40
	743	0	00	33
	744	0	00	44
	734/1	0	00	15
	745	0	00	44
	746/1	0	00	20
	762/1	0	01	50
	770	0	03	42
	765/1	0	02	33
	771	0	01	40
	772/1	0	00	60
	774	0	02	40
	399/1	0	03	66
	397/1	0	01	35
	395/1	0	01	33
	388/1	0	02	66
	कित्ता .. 52	0	64	66

यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नाम:* भूमि ली जानी अपेक्षित है, अतएव एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि नीचे विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त* प्रयोजन के लिए अपेक्षित है।

2. यह घोषणा भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों की सूचना हेतु की जाती है तथा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग, रामपुर बुशैहर को उक्त भूमि के अर्जन करने के आदेश देने का एतद्द्वारा निर्देश दिया जाता है।

3. भूमि का रेखांक भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग, रामपुर के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है।

*गांव लोयर कोटी, पारसा, तहसील रोहड़ू, जिला शिमला में रोहड़ू-पारसा-लोयर कोटी सड़क के निर्माण हेतु ।

संख्या पी० डब्ल्यू० (बी०) ए०(7) 1-22/94.
शिमला-2, 20 दिसम्बर, 1995.

विवरणी

जिला : शिमला तहसील : रोहड़ू

गांव	खसरा नं०	क्षेत्र बीघों में		
1	2	3	4	5
लोयर कोटी	546/1/1	0	00	20
	536/1	0	00	20
	566/1	0	00	38
	566/4	0	01	89
	517/1	0	27	51
	680/1	0	00	42
	703/1	0	00	37
	706/1	0	01	43
	676	0	06	28
	710	0	01	98
	781/1	0	00	76
	781	0	02	08
	934/1	0	11	51
	920/1	0	01	05
	921/1	0	00	63
	919/1	0	02	45
	917/1	0	04	89
	1113/1/1	0	01	12
	916/1	0	04	50
	914/1	0	02	32
	1034/1	0	00	16
	1045/1	0	00	36
	1054/1	0	01	09
	1053/1	0	04	90
	1113/1	0	05	34
	1113/4	0	01	54
	1101/1	0	00	44
	1095/1	0	14	02
	1090/1	0	02	61
	1415/1	0	05	11
	1441	0	03	27
	1463/1	0	25	32
	1461/1	0	01	77
	1803/1	0	07	66
	1826/1	0	01	74
	कित्ता .. 35	1	46	66
पारसा	958/1	0	03	12
	857/1	0	00	70
	962/1	0	13	22
	961/1	0	00	62
	961/2	0	00	22
	961/3	0	00	20
	984/1	0	03	55
	1098/1	0	40	29
	1277/1	0	06	91
	1271/1	0	00	15
	1273/1	0	00	18
	1341/1	0	04	16
	1264/1	0	01	60
	1117/1	0	10	04
	1117/2	0	00	81
	1118/1	0	00	83
	571/1	0	01	89
	572/1	0	01	40
	577/1	0	02	82
	581/1	0	01	26
	585/1	0	02	21
	900/1	0	01	75

1	2	3	4	5
	648/1	0	06	60
	637/1	0	04	32
	638/1	0	00	75
	541/1	0	02	35
	539/1	0	05	45
	268/1	0	02	18
	240/1	0	01	30
किता ..	29	1	93	09

तहसील : शिमला

*गांव थिणू, तुन, काफलोग, बैंग, भज्याड़ तथा बछाड़ग, तहसील व जिला शिमला में धामी-बैंग सड़क के निर्माण हेतु।

संख्या लो० नि० (ख) 7(1)-151/95.

शिमला-2, 23 दिसम्बर, 1995.

गांव	खसरा नं०	क्षेत्र बीघा	बिस्वा
1	2	3	4
थिणू	83/1	0	5
	85/1	0	7
	75/1	0	4
किता ..	3	0	16
तुन	436/262/1	0	12
	263/1	0	17
	266/1	0	16
	267/1	0	17
	267/2	0	16
	442/348/1	3	12
किता ..	6	7	10
काफलोग	163/1	1	19
किता ..	1	1	19
बैंग	141/92/1	1	8
	144/93/1	0	19
	152/123/1	0	10
किता ..	3	2	17
भज्याड़	354/1	0	14
	356/1	0	16
	355/1	0	2
	361/1	0	3
	357/1	0	5
	360/1	0	5
	429/1	0	18
	428/1	0	6
	427/1	0	14
	396/1	0	5
	381/1	0	6
	380/1	0	2
किता ..	12	4	16
बछाड़ग	530/97/1	1	3
	508/130/1	0	5
	156/10/1	0	8
	510/130/1	0	13
	313/73/1	0	7
	311/73/1	0	4
	171/22/1	0	4

1	2	3	4
	315/73/1	1	0
	155/10	0	1
	172/22/1	0	8
	252/54/1	0	5
	251/54/1	1	3
	314/73/1	0	7
	509/130/1	0	8
किता ..	14	6	16

तहसील : जुब्बल

*गांव खामण, तहसील जुब्बल, जिला शिमला में खड़ापत्थर-सरस्वती सड़क के निर्माण हेतु।

संख्या लो० नि० (ख) 7(1) 17/94.

शिमला-2, 1 जनवरी, 1996.

खामणू	729	0	05	01
किता ..	1	0	05	01

तहसील : रोहड़ू

*गांव मंढाल्ली, तहसील रोहड़ू, जिला शिमला में मंढाल्ली-टिक्कर सड़क के निर्माण हेतु।

संख्या लो० नि० (ख) 7(1) 169/94.

शिमला-2, 1 जनवरी, 1996.

मंढाल्ली	571	0	17	11
किता ..	1	0	17	11

यत : हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु, नामत:* भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इसमें सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों, उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने तथा सर्वेक्षण करने और उपधारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमत अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस (30) दिन की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग, शिमला, विन्टर फील्ड शिमला के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है।

*गांव धारी-बगोरी, तहसील तथा जिला शिमला में शोघी-धारी सड़क के निर्माण हेतु।

संख्या पी० डी० डब्ल्यु० बी० ए० (7) 1-222/95.

शिमला-2, 14 दिसम्बर, 1995.

विवरणी

जिला : शिमला तहसील : शिमला

महाल	खसरा नं०	क्षेत्र बीघा	बिस्वा
1	2	3	4
धारी-बगोरी	279	0	16
	323	0	6
	324	0	6

1	2	3	4
	317	0	10
	280	0	16
	321	0	9
	357/325	0	14
	308	1	6
	314	1	8
	322	0	12
	313	0	18
	276	0	7
	312	1	2
	316	1	10
	275	0	14
	309	0	18
	320	1	17
	310	2	7
	319	5	5
	277	1	13
	278	0	16
	318	0	11
	338	41	2
	281	2	10
किता ..	24	68	13

तहसील : जुब्बल

*गांव मान्दल, तहसील जुब्बल, जिला शिमला में मान्दल विश्राम गृह सड़क के निर्माण हेतु।

संख्या पी० डी० डब्ल्यू० बी० ए० (7) 1-223/95.

शिमला-2, 20 दिसम्बर, 1995.

मान्दल	987	0	02	38

तहसील : ननखड़ी

*गांव नखटो, तहसील ननखड़ी, जिला शिमला में निरथ-पुनन-बाघी सम्पर्क सड़क के निर्माण हेतु।

संख्या पी० डी० डब्ल्यू० बी० ए० (7) 1-232/95.

शिमला-2, 27 दिसम्बर, 1995.

गांव	खसरा नं०	क्षेत्र हैक्टेयर		
नखटो	612/3	0	03	73
किता ..	1	0	03	73

यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः* भूमि ली जानी अपेक्षित है, अतएव एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि नीचे विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त *प्रयोजन के लिए अपेक्षित है।

2. यह घोषणा भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों की सूचना हेतु की जाती है तथा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग, सोलन को उक्त भूमि के अर्जन करने के आदेश लेने का एतद्द्वारा निदेश दिया जाता है।

3. भूमि का रेखांक, भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग, सोलन के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है।

*गांव जदोल पटरोली, तहसील राजगढ़, जिला सिरमौर में धामला-जदोल टपरोली सड़क के निर्माण हेतु

संख्या लो० नि० (ख) 7(1)-141/94.

शिमला-2, 20 दिसम्बर, 1995.

विवरणी

जिला : सिरमौर तहसील : राजगढ़

गांव	खसरा नं०	क्षेत्र बीघा	बिस्वा
1	2	3	4
जदोल पटरोली पति पटरोली	161/1	0	3
	887/386/1	0	1
	388/1	0	8
	389/2	0	6
	655 मि०	0	4
	386/1	0	4
	226 मि०	3	4
	860/217	0	1
	387/3	0	13
	402/1	0	6
	227/2	0	19
	659/1	0	5
	401/1	0	1
	928/221/1	0	4
	925/221/1	0	5
	924/221/2	0	12
	859/217/2	0	12
	997/225/2	0	6
	224/1	0	2
	224/2	0	1
	926/225/1	0	3
जोड़ पति टपरोली किता ..	21	7	19
पति जदोल	656/1	0	4
	674/1	0	1
	652/1	0	1
	654/2	0	4
	657/2	0	7
	948/614/1	0	2
किता ..	6	0	19
पति पजेरली	423/1	0	1
	868/591/1	0	6
	433 मि०	0	5
	391/2	0	13
	406/2	1	1
	435 मि०	0	1
	872/591/1	0	1
	869/591/2	0	17
	404/2	0	12
	593/1	1	3
	988/424/2	0	5
	432/1	0	1
	434 मि०	0	3
	951/644/2	0	7
	944/590/2	0	9
	945/590/2	0	16
	619/2	0	4
	620/1	0	9
	621/2	0	11
	621/3	0	10
	589/2	0	8
	615/2	1	5
	431/2	0	18
जोड़ पति पजेरली किता ..	23	11	6
जोड़ कुल देह कुल किता ..	50	20	4

*गांव शलाना, तहसील राजगढ़, जिला सिरमौर में कम्पाउंड कार्यालय के निर्माण हेतु।

संख्या लो० नि० (ख) 7(1) 168/94.

शिमला-2, 9 दिसम्बर, 1995.

शलाना	700/79/2-3/1	2	10
किता ..	1	2	10

*गांव धनाआ, तहसील राजगढ़, जिला सिरमौर में सोलन-मिनस सड़क के निर्माण हेतु।

संख्या लो० नि० (ख) 7(1)-99/95.

शिमला-2, 27 दिसम्बर, 1995.

धनोआ	253/1	0	2
	254	1	10
किता ..	2	1	12

*गांव पैण-कुफर, तहसील राजगढ़, जिला सिरमौर में धामला-पैण-कुफर सड़क के निर्माण हेतु।

संख्या लो० नि० (ख) 7(1)-142/94.

शिमला-2, 27 दिसम्बर, 1995.

पैण कुफर	766/500/2	0	13
	514/2	0	16
	518 सा०	1	14
	516/1	0	1
	517/1	0	5
	531/1	0	5
	519/1	0	1
	520/2	0	3
	527/2	0	5
	526/1	0	8
	547/2	1	10
	561 सा०	0	9
	562/1	0	4
	592/2	0	9
	586/2/1	0	6
	563 सा०	0	9
किता ..	16	7	18

*गांव नरेटी-भगोट, तहसील राजगढ़, जिला सिरमौर में धामला-पैण-कुफर सड़क के निर्माण हेतु।

संख्या लो० नि० (ख) 7(1) 140/94.

शिमला-2, 6 जनवरी, 1996.

1	2	3	4
नरेटी भगोट	505/1	0	4
	436	0	7
	425/1/1	0	10
	422/1	0	2
	423	0	2
	424/1	0	4
	368/2	0	7
	369/1	0	7
	366/2	1	14
	351/1	0	1
	349	0	4
	366/309/2	0	18
	665/309/1	0	2
	667/310/1	0	2
	668/310/1	0	2
	669/310/1	0	2
	319/1	0	1
	362/2	0	6
	626/363/1	0	1
	361/1	0	11
	348/1	0	3
	348/2	0	5
	350	0	8
	312/1	0	9
	313/1	0	7
	314/1	0	4
	139/2	0	9
	130/1	0	2
	53/1	0	5
	131/3	0	5
	636/125/2	1	10
	635/125/1	0	9
	52/2	0	8
	51/1	0	5
	57/1	0	2
	56/1	0	2
	55/1	0	4
	59/1	0	5
	61/2	0	6
	62 सालम	0	2
	612/63/1	0	2
	37/1	0	3
	38 सालम	0	3
	39/2	0	8
	32/1	0	5
	29/1	0	1
	33/2	0	4
	40	0	2
	42/1	0	1
	132/1	0	2
किता ..	50	14	7
चक पडिया	202/1	0	2
मौजा नरेटी भगोट	202/2	0	1
किता ..	2	0	3
कुल किता ..	52	14	10

शिमला-2, 6 जनवरी, 1996

संख्या लो० नि० (ख) 7(1)-213/95.—यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव भद्रसाली, जिला व तहसील ऊना में धाजूवाल-भद्रसाली वाया सलोह सड़क के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है। अतएव एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों, उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने तथा सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित या अनुमत अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष अधिकार देते हैं।

4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में वर्णित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो, तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित

होने के तीस (30) दिन की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग, हमीरपुर के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है।

विवरणी

जिला : ऊना तहसील : ऊना

गांव	खसरा नं0	क्षेत्र हैक्टेयर
भद्रमाली	1838/1	0 00 74

आदेश द्वारा,

पी0 एस0 राणा,
सचिव।

पर्यटन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 5 जून, 1995

संख्या पर्यटन-एफ0 (10) 1/95.—यतः राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन के लिए नामतः गांव जिल्हण (झटींगरी), तहसील जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी में पर्यटन कम्पलैक्स के निर्माण व पर्यटन विकास हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय, इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों/कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने और इस धारा द्वारा अपेक्षित या अनुमत: अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. अत्यधिक आवश्यकता को दृष्टि में रखते हुए, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा 4 के अधीन यह भी निदेश देते हैं कि उक्त अधिनियम की धारा 5-ए के उपबन्ध इस मामले में लागू नहीं होंगे।

विवरणी

जिला : मण्डी उप-तहसील : पधर

मौजा परगना	खसरा नं0	रकबा बीघा में
जिल्हण/गुमा	921	0 11 10
	922	0 16 07
	923	1 09 16
	924	0 05 04
कुल ..	4	3 02 17

आदेश द्वारा,

रेणु साहनी धर,
आयुक्त एवं सचिव।

भाग 2—वैधानिक नियमों को छोड़ कर विभिन्न विभागों के अध्यक्षों और जिला मैजिस्ट्रेटों द्वारा अधिसूचनाएं इत्यादि

खाद्य एवं आपूर्ति विभाग

अधिसूचना

कुल्लू, 4 जनवरी, 1996

संख्या एफ0 डी0 एस0 (अनु) 17/93-45-145.—मैं, अनिल कुमार खाची, जिला दण्डाधिकारी, कुल्लू आवश्यक वस्तुओं के अधिकतम मूल्य निर्धारण सम्बन्धी पिछले सभी आदेशों व अधिसूचनाओं का अधिक्रमण करते हुए हिमाचल प्रदेश जमाखोरी मुनाफाखोरी उन्मूलन आदेश, 1977 जो हिमाचल प्रदेश सरकार खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की अधिसूचना संख्या एफ0 डी0 एस0 ए0 3(2)/77 के अन्तर्गत दिनांक 30-10-80 द्वारा संशोधित है, की धारा 3(1) (ड) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित वस्तुओं के सभी करों सहित प्रत्येक के समक्ष दर्शाये गए अधिकतम मूल्य निर्धारित करता हूं :—

क्रमांक 1	आवश्यक वस्तुओं का नाम 2	अधिकतम निर्धारित परचून दरें 3		
1.	मीट बकरा भेडा	54.00	रुपये	प्रति कि0 ग्रा0
2.	मीट सूअर	35.00	,,	,,
3.	मीट मींगी	30.00	,,	,,
4.	मुर्गा साफ किया हुआ	55.00	,,	,,
5.	मुर्गा साफ किया हुआ ब्रायलर।	55.00	,,	,,
6.	मछली साफ की हुई	35.00	,,	,,
7.	मछली तली हुई (तलने के पश्चात)।	56.00	,,	,,
8.	कलेजी तथा कीमा	54.00	,,	,,
9.	डबल रोटी 400 ग्राम	04.00	रुपये	प्रति पैकेट
10.	डबल रोटी 800 ग्राम	08.00	,,	,,
	पका हुआ खाना होटल/ढाबे में :			
11.	चपाती तन्दूरी	01.00	रुपये	प्रति
12.	चपाती तवे वाली	00.75	पैसे	प्रति
13.	परांठा स्टफड	03.50	पैसे	प्रति
14.	दो पूरी चना सहित	05.00	रुपये	प्रति
15.	प्रति खुराक दाल सब्जी सहित।	12.00	रुपये	प्रति
16.	चावल प्रति प्लेट परमल	05.00	,,	,,
17.	दाल सादी प्रति पलेट	03.00	,,	,,
18.	दाल फ्राईड प्रति प्लेट	06.00	,,	,,
19.	सब्जी सादी प्रति प्लेट	03.00	,,	,,
20.	सब्जी स्पैशल प्रति प्लेट	09.00	,,	,,
21.	सब्जी पनीर वाली प्रति प्लेट	11.00	,,	,,
22.	मीट प्रति प्लेट	22.00	,,	,,
23.	आमलेट दो अण्डों का दो स्लाईस सहित।	05.00	,,	,,
24.	चिकन करी प्रति प्लेट	22.00	,,	,,
25.	दूध कच्चा प्रति कि0 ग्रा0	08.50	,,	,,
26.	दूध उबला प्रति कि0 ग्रा0	09.50	,,	,,
27.	दही प्रति कि0 ग्रा0	13.00	,,	,,
28.	चाय प्रति कप	01.50	,,	,,
29.	थुपका मीट सहित प्रति प्लेट	09.00	,,	,,
30	थुपका मीट सहित आधा प्लेट	05.00	,,	,,
31.	मोमो प्रति प्लेट जिसमें पांच पीस हों।	08.00	,,	,
32.	पनीर प्रति कि0 ग्रा0 :	55.00	,,	,,
	पेय पदार्थ प्रति बोतल 250 मि0 ली0:			
33.	लिम्का, थम्सअप, माजा, कैम्पा किड।	07.00	रुपये	

1	2	3	
34.	गोल्ड स्पाट, लहर, टीम, सिटरा, पैप्सी, 7 अप अनचिल्ड ।	6.50	रुपये
35.	सोडा	05.50	,,

यह भी आदेश देता हूं कि सभी दुकानदारों को सहज दृष्टव्य स्थान पर हिन्दी (देवनागरी) में मूल्य सूची प्रदर्शित और उस पर दुकानदार/भागीदार/प्रबन्धक के दिनांक सहित हस्ताक्षर होना अनिवार्य है तथा प्रत्येक दुकानदार ग्राहक को कैश मेमो जारी करेगा जिसमें दुकानदार का नाम पता हस्ताक्षर और दुकानदार द्वारा ली गई कीमत का पूरा विवरण होगा ।

यह आदेश सम्पूर्ण जिला कुल्लू में हिमाचल प्रदेश राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित होने से एक माह की अवधि तक लागू रहेगा ।

अनिल कुमार खाची,
जिला दण्डाधिकारी, कुल्लू,
हिमाचल प्रदेश ।

The Bar Council of Himachal Pradesh, Ravenswood, Shimla

NOTIFICATION

Shimla-1, 16*th January*, 1996

No. BCHP/CC-8 of 1993/96/111/210.—In continuation of this office Notification No. BCHP/CC-8 of 1993/6-104/96, dated 8th January 1996, it is hereby notified that the Disciplinary Committee (1) of the Bar Council of Himachal Pradesh by its order dated 12.1.96 passed in stay application filed by Shri Yash Pal Chauhan, Advocate, has stayed the operation of the suspension order dated 4.1.1996 in respect of said Shri Yash Pal Chauhan (Enrolment No. HIM/75/1980, dated 4.1.1996 till further order.

CHAMAN LAL,
Registrar,
Disciplinary Committee (I),
Bar Council of Himachal Pradesh.

कार्यालय जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) चम्बा,
जिला चम्बा हि0 प्र0

"शुद्धि पत्र"

चम्बा, 10 जनवरी, 1996

संख्या पो0 एन0 टी0-सी0 एच0 2(5)/95-निर्वाचन.—इस कार्यालय की अधिसूचना पी0एन0टी0-सी0एच0-2(5)/95-निर्वाचन-7343-7433 दिनांक 29-12-1995 में शुद्धि करते हुए पृष्ठ सं0 12 क्र0 सं0 30 पर अंकित नाम प्रधान, ग्राम पंचायत चकलू, श्रीमती कुमो देवी के स्थान पर श्रीमती चम्पा देवी पत्नी श्री कमल सिंह, गांव सोकड़ू, डाकखाना चकलू, तहसील व जिला चम्बा पढ़ा जाए ।

हस्ताक्षरित/-
सहायक निर्वाचन अधिकारी (पंचायत),
विकास खण्ड चम्बा, जिला चम्बा ।

कार्यालय सहायक पंजीयक, सहकारी सभायें मण्डी, जिला मण्डी,
हिमाचल प्रदेश

कार्यालय आदेश

मण्डी, 23 जनवरी, 1996

संख्या कूप-एम/96-655-64.—जैसा कि दी नंगवई परिवहन सहकारी सभा सी0 नंगवई, डा0 नगवई तह0 सदर, जिला मण्डी, हि0 प्र0 का पंजीयन दिनांक 9-2-1995 को पंजीयन संख्या 151 द्वारा हुआ था परन्तु उपरोक्त सभा ने पंजीयन के बाद अभी तक कोई भी कार्य शुरू नहीं किया है । सभा के 20 सदस्यों में से केवल 7 सदस्य जिनका भागधन मु0 14000 रुपये है, ही रह गये हैं जबकि नियमानुसार 11 सदस्य का भागधन 100000/- रुपये होना अनिवार्य था । इसलिए उक्त सभा को विघटन में डाला जाना अनिवार्य हो गया है ।

जैसा कि निरीक्षक ग्रेड-II सहकारी सभायें सदर मण्डी, जिला मण्डी ने वर्ष 1995-96 के निरीक्षण पत्र, जो दिनांक 25-11-95 को दिया गया है में सिफारिश की है कि नंगवई परिवहन सहकारी सभा सी0 डा0 नंगवई, जिला मण्डी (हि0 प्र0) को विघटन में डाला जाए ।

अतः उक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए मैं, के0 एल0 सरेहली, सहायक पंजीयक, सहकारी सभायें मण्डी, जिला मण्डी, हि0 प्र0 मुझ में निहित शक्तियों हि0प्र0 सहकारी सभायें अधिनियम 1968 (1969 का ऐक्ट न0 3) की धारा 79 का प्रयोग करते हुये उक्त सभा को विघटन में डालने का आदेश देता हूं तथा हि0 प्र0 सहकारी सभायें अधिनियम 1968 (1969 का ऐक्ट न0 3) की धारा 78(I) के अन्तर्गत श्री जगदीश चन्द सैनी, निरीक्षक ग्रेड-II, सहकारी सभायें, सदर मण्डी को विघटक नियुक्त करता हूं ।

विघटक, हि0 प्र0 सहकारी सभाएं अधिनियम, 1968 (1969 का ऐक्ट नं0 3) की धारा 80 और 82 की सभी शक्तियों का प्रयोग अधोहस्ताक्षरी के नियन्त्रण में करेगा ।

विघटक, सभा के रिकार्ड व अन्य प्राप्तव्य का चार्ज शीघ्र लें और छः (6) मास के अन्दर-अन्दर सभा के कार्य को पूर्णतया समाप्त करें तथा विघटन कार्यवाही की त्रैमासिक रिपोर्ट अधोहस्ताक्षरी को प्रेषित करें ।

उक्त आदेश "पंजीयक" की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये पारित किये गये हैं ।

के0 एल0 सरेहली,
सहायक पंजीयक,
सहकारी सभायें मण्डी, हि0प्र0 ।

कार्यालय, सहायक पंजीयक सहकारी सभायें, जिला सिरमौर, नाहन

कार्यालय आदेश

नाहन, 10 जनवरी 1996

क्रमांक कोप 3-18/87-178-82.—जैसा कि दि दुधाधारी माल्लादेवी मिल्क प्रोड्यूसर्ज कोपरेटिव सोसायटी लिमिटेड बेला, डाकघर विक्रमबाग, तहसील नाहन, जिला सिरमौर का कार्य काफी समय से बन्द पड़ा है व सभा सदस्यों की कार्य में रुचि नहीं है ।

जैसा कि उपरोक्त के सम्बन्ध में सभा के सचिव को इस कार्यालय के पत्र संख्या कोप 3-18/87-4807 दिनांक 31 अगस्त 1995 द्वारा 15 दिन के भीतर स्पष्टीकरण देने हेतु लिखा गया था व सभा द्वारा कोई उत्तर इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है ।

जैसा कि निरीक्षक ग्रेड-I सहकारी सभायें, नाहन ने अपने निरीक्षण पत्र में भी सभा को विघटन में डालने हेतु सिफारिश की है ।

अतः मैं, जगतेन्द्र सिंह, सहायक पंजीयक सहकारी सभायें, नाहन, हिमाचल प्रदेश, सहकारी सभायें, अधिनियम 1968 (ऐक्ट नं0 3 आफ 1969) की धारा 78 के अधीन "पंजीयक" को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये इस सभा को विघटन में डालने के आदेश देता हूं व धारा 79 के अधीन पंजीयक की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निरीक्षक ग्रेड-I सहकारी सभायें, नाहन को सभा का विघटक नियुक्त करता हूं व निदेश देता हूं कि विघटन सम्बन्धी कार्य 3 मास में पूर्ण किया जाये ।

जगतेन्द्र सिंह,
सहायक पंजीयक सहकारी सभायें,
जिला सिरमौर, नाहन ।

भाग-3 अधिनियम, विधेयक और विधेयकों पर प्रवर समिति के प्रतिवेदन, वैधानिक नियम तथा हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट, फाईनैन्शियल कमिश्नर तथा कमिश्नर आफ इन्कम टैक्स द्वारा अधिसूचित आदेश इत्यादि।

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH

NOTIFICATION

Shimla-1, the 20th January, 1996

No. HHC/E-5-1/71.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 18 of the Himachal Pradesh Courts Act, 1976 (Act No. 23 of 1976), the Hon'ble the Chief Justice and Judges of this Court are pleased to make the following rules further to amend Annexure A to be appended under sub rule II of rule 2 of Rules, 1978 as well as sub rules III and IV of Rule 4 and deletion of sub rule V of Rule 4 of the Rules (First Amendment,) 1983, relating to the appointment and control of Superintendents of Courts of District and sessions Judges in Himachal Pradesh in the following manner:—

1. *Short title and commencement.*—(*i*) These rules may be called the appointment and control (2nd Amendment) Rules of Superintendents to the District and Sessions Judges in Himachal Pradesh, 1995.

(*ii*) These rules shall come in to force at once.

2. *Amendment by way of substitution of Annexure-A Appended under sub Rule II of rule-2.*—The existing Annexure-'A' shall stand substituted by the amended Annexure-A to be appended under this sub rule.

3. *Amendment by way of substitution of sub rules III and IV and deletion of Sub rule V of Rule 4.*—The existing sub rules III and IV of Rule 4 shall be substituted as under :—

(*iii*) The Superintendent Grade-II in the courts subordinate to the High Court with minimum educational qualification of graduates from a recognised university shall form a feeder category for the post of Superintendents.

Note.—However, this sub-rule shall not apply to those candidates who have already been appointed as such on regular basis.

(*iv*) The selection to the post of Superintendents will be made either on the basis of service record or on the basis of oral and/or written examination as may be prescribed by the High Court.

(*v*) The existing sub rule V shall stand deleted.

By order,
M. R. VERMA,
Registrar.

ANNEXURE-"A"

[*See* Rule 2 (*ii*)]

LIST OF THE POSTS OF SUPERINTENDENTS PROVIDED FOR THE COURTS OF DISTRICT AND SESSIONS JUDGES IN HIMACHAL PRADESH

Sl. No.	Post	Court for which post Sanctioned
1.	Superintendent	District & Sessions Judge, Shimla.
2.	-do-	Nahan.
3.	-do-	Hamirpur.
4.	-do-	Mandi.
5.	-do-	Kangra,
6.	-do-	Solan.
7.	-do-	Chamba.
8.	-do-	Una.
9.	-do-	Bilaspur.
10.	-do-	Kinnaur at Rampur.

AGRICULTURE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, the 14th June, 1995

No. Agr.A-1-(1)/94.—In order to ensure effective administrative control and better implementation of various agricultural programmes in the Pradesh, the Governor, Himachal Pradesh, is pleased to order the creation of a Zonal Office of the Agriculture Department with headquarters at Dharamshala with immediate effect. The Zonal office will be headed by an Additional Director of Agriculture and will have jurisdiction over Kangra, Una, Hamirpur, Chamba and Mandi Districts.

2. Initially the Zonal Office shall be set up in the existing office premises of the District Agriculture officer, Dharamshala.

3. The staff in the newly created Zonal Office shall be provided by the Department through internal adjustment as per Annexure-I.

4. No disturbance allowance shall be admissible to any Officer/Official who might be shifted as a result of internal adjustments.

By order,
Sd/-
Agriculture Production Commissioner.

ANNEXURE-I

Sl. No.	Name of the post	No. of Post	Remarks
1	2	3	4
1.	Additional Director of Agriculture.	1	To be transferred from Shimla.
2.	Pulses and Oil Seed Specialist.	1	By transfer from Directorate Shimla.
3.	Senior Subject Matter Specialist (Agronomy).	1	To be tranferred from Directorate Shimla.
4.	Subject Matter Specialist.	3	Out of SMS of Kangra District under T & E by deployment.
5.	Agriculture Development Officer	3	Out of Agriculture Development officers T & E from Kangra by deployment.
6.	Village Extension Officer	2	-do-
7.	Junior Engineer	1	By internal adjustment.
8.	Technical Assistant	1	By internal adjustment or post of Technical Assistant given under T & E can be transferred.
9.	Statistical Assistant	2	By internal adjustment.
10.	(*a*) Supeintendent Grade-I.	1	To be transferred from Directorate (T&E) Branch.
	(*b*) Superintendent Grade-II.	1	Working in Distt. Agriculture office Dharamshala
11.	Senior Assistant	6	2 working in the office of District Agriculture office Dharamshala and 4 from T&E Branch Shimla.

1	2	3	4
12.	Junior Assistant Clerk	6	4 working with District Agriculture office and 2 in (T & E) Branch Shimla.
13.	(a) Senior Scale Stenographer	1	To be transferred from Shimla with Additional Director of Agriculture.
	(b) Junior Scale Stenographer	1	Post created for Pulses and Oil Seed Specialist be transferred from Shimla.
14.	Jamadar	1	To be transferred from Shimla working with Additional Director of Agriculture.
15.	Peon	4	2 with District Agriculture officer and one with (T&E) branch Shimla.
16.	Chowkidar	2	One working with District Agriculture officer Dharamshala and another to be provided out of (T & E) branch Shimla.
17.	Sweeper par time	1	Working with District Agriculture officer Dharamshala.
18.	Driver	3	2 with District Agriculture officer Dharamshala an one with Additional Director of Agriculture.
19.	Gestetnor Operator	1	To be transferred from Headquarters Shimla

वित्त विभाग
(कोष तथा लेखा संगठन)

अधिसूचना

शिमला-2, 11 दिसम्बर, 1995

संख्या फिन (टी० आर०)ए०-(3)-1/94.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, हिमाचल प्रदेश वित्त विभाग (कोष तथा लेखा संगठन) में संयुक्त निदेशक (वर्ग-I, राजपत्रित) पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध-"अ" के अनुसार भर्ती एवं प्रोन्नति नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश वित्त विभाग (कोष तथा लेखा संगठन) संयुक्त निदेशक (वर्ग-I, राजपत्रित) पद, भर्ती एवं प्रोन्नति नियम, 1995 है।

(2) यह नियम तुरन्त प्रवृत होंगे ।

आदेश द्वारा,

कंवर शमशेर सिंह,
वित्तायुक्त एवं सचिव (वित्त) ।

उपाबन्ध-"अ"

हिमाचल प्रदेश सरकार वित्त विभाग के (कोष एवं लेखा संगठन) में संयुक्त निदेशक के पद के लिए भर्ती एवं प्रोन्नति नियम।

1.	पद का नाम	संयुक्त निदेशक
2.	पदों की संख्या	1 (एक)
3.	वर्गीकरण	वर्ग-I (राजपत्रित)
4.	वेतनमान	रुपये 3000-100-4000-125-4500
5.	चयन पद अथवा अचयन पद	चयन
6.	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु ।	लागू नहीं ।
7.	सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिणिक अर्हताएं ।	लागू नहीं ।
8.	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु और शैक्षिणक अर्हताएं प्रोन्नति की दशा में लागू होंगी या नहीं ।	लागू नहीं ।
9.	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो ।	दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और लिखित कारणों से आदेश दें ।
10.	भर्ती की पद्धति,—भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता ।	शत प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा, ऐसा न होने पर सीधी भर्ती द्वारा ।
11.	प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण की दशा में श्रेणियां, जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा ।	उप-निदेशकों/उप निदेशकों (निरीक्षण) के संयुक्त काडर में से जिनका ग्रेड में कम से कम 3 वर्ष का नियमित सेवाकाल या (31-3-1991) तक की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, का सम्मिलित करके, संयुक्त नियमित सेवाकाल हो, प्रोन्नति द्वारा। ऐसा न होने पर राज्य सरकार के अधीन समतुल्य पद-धारण करने वाले अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति द्वारा ।

टिप्पणी 1.—प्रोन्नति के सभी मामलों में पूर्व सम्भरण पद में 31-3-1991 तक की गई तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, प्रोन्नति के लिए इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए गणना में ली जाएगी :

(क) उन सभी मामलों में जहां कोई कनिष्ठ व्यक्ति संभरण पद में अपने कुल सेवाकाल (31-3-1991 तक की गई तदर्थ सेवा को शामिल करके) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहां अपने प्रवर्ग/पद/काडर में उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति विचार किए जाने के पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जाएंगे :

परन्तु विचार किए जाने वाले सभी पदधारियों की कम से कम तीन वर्ष न्यूनतम अर्हताएं सेवा या पद के भर्ती एवं प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा, जो भी कम हो होनी चाहिए:

परन्तु यह और भी कि, जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षा के कारण प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र हो जाता है वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के अपात्र समझा जाएगा ।

स्पष्टीकरण.—अन्तिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के

लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है, जिसे डिमौबिलाईज्ड आर्मड फोर्सिस परसौनल (रिजर्वेशन आफ वैकेन्सीज इन हिमाचल स्टेट नान-टैक्नीकल सर्विसिज) रूल्ज, 1972 के नियम 3 के प्रावधानों के अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे एक्स-सर्विसमैन (रिजर्वेशन आफ वैकेन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टैक्नीकल सर्विसिज) रूल्ज, 1985 के नियम 3 के प्रावधानों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो तथा वरीयता लाभ दिए गए हों।

(क) इसी प्रकार स्थायीकरण के सभी मामलों में से ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व 31-3-91 तक की गई तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी :

परन्तु स्थायीकरण के परिणाम-स्वरूप 31-3-91 तक की गई तदर्थ सेवा को हिसाब में लेकर पारस्परिक ज्येष्ठता, अपरिवर्तित रहेगी।

टिप्पणी-2.— जब कभी नियम 2 के अधीन पदों में बढ़ौतरी होती है तो स्तम्भ 10 और 11 के उपबन्ध सरकार द्वारा लोक सेवा आयोग के परामर्श से पुनः पुनरीक्षित किए जाएंगे।

12. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो, तो उसकी संरचना। — जैसा कि सरकार द्वारा समय-समय पर गठित की जाये।

13. भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा। — जैसा कि विधि द्वारा अपेक्षित है।

14. सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षा। — लागू नहीं

15. सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिये चयन। — लागू नहीं

16 आरक्षण — उक्त सेवा में नियुक्ति, हिमाचल सरकार द्वारा समय-समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों/पिछड़े वर्गों और अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए आरक्षण की बाबत जारी किए गए आदेशों के अधीन होगी।

17. विभागीय परीक्षा — 1. सेवा में प्रत्येक सदस्य को, समय-समय पर यथा संशोधित विभागीय परीक्षा नियम, 1976 में यथा विहित विभागीय परीक्षा पास करनी होगी अन्यथा वह निम्नलिखित के लिए पात्र नहीं होगा :—

(i) आगामी देय वेतनवृद्धि प्राप्त करने के ;

(ii) परीक्षा अवधि के पूर्ण होने के पश्चात् भी स्थायीकरण के लिए ; और

(iii) अगले उच्चतर पद पर प्रोन्नति के लिए :

परन्तु उस अधिकारी से जिसने इन नियमों के अधिसूचित किए जाने से पूर्व, किन्हीं नियमों के अधीन पूर्णतः या अंशतः विभागीय परीक्षा पास की है, यथास्थिति, पूर्णतः या अंशतः परीक्षा पास करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी :

परन्तु यह और कि ऐसे अधिकारी से जिसके लिए इन नियमों के अधिसूचित किए जाने से पूर्व कोई विभागीय परीक्षा विहित नहीं की गई थी और जिसने 1 मार्च 1976 को 45 वर्ष की आयु, प्राप्त कर ली हो, उससे इन नियमों के अधीन विहित विभागीय परीक्षा पास करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी :

परन्तु यह और भी कि ऐसे अधिकारी से जिसके लिए, इन नियमों के अधिसूचित किए जाने से पूर्व कोई विभागीय परीक्षा विहित नहीं की गई थी और जिसने 1 मार्च, 1976 को 45 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की थी उससे 50 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात् निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए विभागीय परीक्षा पास करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी :—

(i) आगामी देय वेतनवृद्धि प्राप्त करने के लिए, और

(ii) परिवीक्षा अवधि पूर्ण होने के पश्चात् स्थायीकरण के लिए।

2. किसी अधिकारी से अपनी प्रोन्नति की सीधी भर्ती पंक्ति में उच्चतर पद पर प्रोन्नति पर विभागीय परीक्षा पास करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी, यदि उसने निम्नतर राजपत्रित पद पर ऐसी परीक्षा पहले ही पास कर ली है।

3. सरकार, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, असाधारण परिस्थितियों में और कारणों को अभिलिखित करके, विभागीय परीक्षा नियमों के अनुसार किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों को विभागीय परीक्षा से पूर्णतः या आंशतः छूट मंजूर कर सकेगी, परन्तु यह तब जबकि ऐसे अधिकारी को उसकी अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने की तारीख से किसी अन्य प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना सम्भव न हो।

18. शिथिल करने की शक्ति — जहां राज्य सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, तो वह कारणों को अभिलिखित करके और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से आदेश द्वारा इन नियमों के किन्हीं उपबन्धों को किसी वर्ग या व्यक्तियों के प्रवर्ग या पदों की बाबत शिथिल कर सकेगी।

[*Authoritative English text of this department notification No. Fin. (TR) A (3)-1/94, dated 11-12-1995 as required under Clause* (3) *of Article* 348 *of the Constitution of India*].

FINANCE DEPARTMENT

(TREASURIES AND ACCOUNTS ORGANISATION) NOTIFICATION

Shimla-171 002, *the 11th December*, 1995

No. Fin. TR(A)(3) 1/94.—The Governor of Himachal Pradesh, in exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, and in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission is pleased to make the Recruitment and Promotion Rules For the post of Joint Director (class-I) (Gazetted) in the Finance Department (Treasuries and Accounts Organisation) Himachal Pradesh, as per Annexure 'A' attached to this Notification namely:—

1. *Short title and commencement.*—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Finance Department (Treasuries and Accounts Organisation) Joint Director (Class-I, Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 1995.

(2) These rules shall come into force with immediate effect.

KANWAR SHAMSHER SINGH,
Financial Commissioner-cum-Secretary (Finance).

ANNEXURE 'A'

RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF JOINT DIRECTOR (CLASS-I, GAZETTED) IN THE TREASURIES AND ACCOUNTS ORGANISATION FINANCE DEPARTMENT, HIMACHAL PRADESH.

1.	Name of post	Joint Director
2.	Number of posts	1 (One)
3.	Classification	Class-I (Gazetted)
4.	Scale of pay	Rs. 3000-100-4000-125-4500
5.	Whether selection post or non-selection post.	Selection.
6.	Age for direct recruitment.	Not applicable
7.	Minimum educational qualifications prescribed for direct recruits.	Not applicable
8.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of the promotees.	*Age* : Not applicable. *Educational qualifications*: Not applicable.
9.	Period of probation, if any.	Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.
10.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion, deputation, transfer and the percentage of vacancies to be filled in by various methods.	100% by promotion failing which by deputation.
11.	In case of recruitment by promotion, deputation, transfer, grades from which promotion / deputation/transfer is to be made.	By promotion from amongst the Deputy Directors/Deputy Directors (Inspection) (Joint Cadre) having atleast 3 years regular service or regular combined with continuous *ad hoc* (rendered upto 31-3-1991) service, if any, in the grade, failing which by deputation from amongst the officers holding equivalent posts under the State Government.

Note. (1) In all cases of promotion, the *ad hoc* service rendered in the feeder post upto 31-3-1991, if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these rules for promotion subject to the condition:-

(*a*) That in all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his total length of service (including the service rendered on *ad hoc* basis upto 31-3-1991) in the feeder post in view of the provisions referred to above, all persons senior to him in the respective category/post cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration:

Provided that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of at least three years or that prescribed in the Recruitment and Promotion Rules for the post, whichever is less:

Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the persons junior to him shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion.

Explanation.—The last proviso shall not render the junior incumbents ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible persons happened to be *ex*-servicemen recruited under the provisions of Rule-3 of Demobilised Armed Forces Personnel (Reservation of vacancies in the Himachal State Non-Technical Services) Rules 1972 and having been given the benefit of seniority thereunder or recruited under the provisions of Rule-3 of *Ex*-servicemen (Reservation of vacancies in the Himachal Pradesh Technical Services) Rules, 1985 and having been given the benefit of seniority thereunder.

(*b*) Similarly, in all cases of confirmation, *ad hoc* service rendered on the feeder post upto 31-3-91, if any, prior tothe regular appointment against such post shall be taken into account towards the length of service :

	Provided that *inter-se* seniority as a result of confirmation after taking into account, *ad hoc* service rendered upto 31-3-1991 shall remain unchanged. *Note.*— Provisions of Columns 10 and 11 are to be revised by the Government in consultation with the Commission as and when the number of posts under Rule-2 are increased.	any Rules before the notification of these Rules shall not be required to qualify the whole or in part, of the examination as the case may be : Provided further that an officer for whom no Departmental Examination was prescribed prior to the notification of these Rules and who has attained the age of 45 years on the 1st March, 1974 shall not be required to qualify the Departmental Examination prescribed under these rules :
12. If a Departmental Promotion Committee exist, what is its composition.	As may be consituted by the Government from time to time.	
13. Circumstances under which the H. P. P.S.C. is to be consulted in making recruitment.	As required under the law.	Provided further that an officer for whom no Departmental Examination was prescribed prior to the notification of these Rules and who had not attained the age of 45 years on 1-3-1976 shall not be required to qualify the Departmental Examination prescribed under these Rules after attaining the age of 50 years for the purpose of (*i*) Crossing of Efficiency Bar next due and (*ii*) Confirmation in the service after completion of probationary period.
14. Essential requirement for a direct recruitment.	Not applicable	
15 Selection for appointment to post by direct recruitment.	Not applicable	(2) An officer on promotion to higher post in his direct line of promotion shall not be required to pass the aforesaid examination if he has already passed the same in the lower gazetted post.
16. Reservation	The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes / Scheduled Tribes/ Backward Classes/Other Categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.	(3) The Government may in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission grant in exceptional circumstances and for reasons to be recorded in writing, exemption in accordance with the Departmental Examination Rules to any class or category of persons from the Departmental Examination in whole or in part provided that such officer is not likely to be considered for any other higher promotion before the date of his superannuation.
17. Departmental Examination.	(1) Every member of the service shall pass a Departmental Examination as prescribed in the Departmental Examination Rules, 1976 as amended from time to time, failing which he shall not be eligible to:— (*i*) Cross the Efficiency Bar next due; (*ii*) Confirmation in the service even after completion of probationary period, and (*iii*) Promotion to the next higher post: Provided that an officer who has qualified the departmental Examination in whole or in part prescribed under	
18. Power to relax		Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, relax any of the provisions of these Rules with respect to any class or category of persons or posts.

भाग 4 - स्थानीय स्वायत शासन, म्यूनिसिपल बोर्ड, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, नोटिफाइड और टाउन एरिया तथा पंचायती राज विभाग ।

—शून्य—

ब अदालत श्री प्रताप सिंह ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, भटियात (नुवाड़ी) जिला चम्बा (हि० प्र०)

श्रीमती सोमा देवी पत्नी श्री राम लाल, साकिन बकलोह, तहसील भटियात, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश ।

बनाम

आम जनता

दरख्वास्त नियम 13 (3) पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु अधिनियम, 1969.

दरख्वास्त उनवान में प्रार्थीया श्रीमती सोमा देवी ने आवेदन किया है कि उसका जन्म 15-3-1969 को हुआ था परन्तु उसकी जन्म तिथि कन्टोनमैन्ट बकलोह में दर्ज न है, अतः उसकी तिथि दर्ज करवाई जावे ।

अतः आम जनता को बजरीया इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि श्रीमती सोमा देवी के नाम पंजीकरण बारा कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 16-2-1996 को हाजर अदालत आकर असालतन या वकालतन प्रस्तुत करें अन्यथा जन्म पंजीकरण बारा उचित कार्यवाही अमल में लाई जावेगी ।

आज दिनांक 28-12-95 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ ।

मोहर ।

प्रताप सिंह ठाकुर,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
भटियात (नुवाड़ी) जिला चम्बा (हि० प्र०) ।

In the court of Sh. A. C. Thalwal, Senior Sub-Judge, Hamirpur, H. P.

Succession Act Petition No. 38/95

Date of Institutution : 16-12-95

Date of hearing : 13-3-96

1. Piar Chand, 2. Ashok Kumar, sons of Chatru Ram both r/o village Majhot, Tappa Matimorrian, Tehsil and District Hamirpur (H. P.) .. Petitioners.

Versus

General public .. Respondent.

Application U/S 372 of the Indian Succession Act for issuance of Succession Certificate.

To

The general public.

Whereas the above noted patitioners have moved an application duly supported with an affidavit under the Indian Succession Act praying therein that Succession Certificate in respect of the assets/debts of Smt. Mati Devi died on 1-1-95 may be issued in his favour.

Hence this proclamation is hereby issued to the general public and kith and kins of the deceased to file their objection, if any, before this court on or before 13-3-96 at 10 A. M. either personally or through authorised agent, failing which succession certificate as sought to be issued shall be granted *ex parte* in favour of the petitioner.

Given under my hand and seal of the Court today 30th day of Decemner, 1995.

Seal.

A. C. THALWAL,
Senior Sub-Judge,
Hamirpur H.P.

In the Court of Sh. J. N. Yadav, Sub-Judge 1st Class (II) Nurpur, District Kangra

In re. :—

Civil suit No. 525/88.

Ran Singh s/o Lakhu Ram, r/o Jol, Muaza Bhali at present village Sohri, Muhal Rehlu, Tehsil and District Kangra .. Plaintiff.

Versus

Bhiya Ram s/o Khemdi, r/o Jol Muaza Bhali, Tehsil Nurpur, District Kangra .. Deft.

SUIT FOR RECOVERY

To

1. Sh Jaggu Ram, 2. Satish Kumar ss/o Vidya Ram, r/o Jol, Tehsil Nurpur, District Kangra.

..LRS

Whereas in the above noted case it has been proved to the satisfaction of this court that the defendants/LRS as mentioned above cannot be served through an ordinary process. They have evading the service of summons and notices issued against them.

Hence, this proclamtion U/o 5, Rule 20, C. P. C. is hereby issued against them to appear in this court on or before 27-2-96 at 10.00 A. M. personally or through an authorised agent/pleader to defend the said case failing which *ex parte* proceeding shall be taken against them.

Given under my hand and seal of the court on the 27th December, 1995.

Seal.

J. N. YADAV,
Sub-Judge 1st Class (II),
Nurpur.

ब अदालत श्री नेत्र सिंह भारद्वाज नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी पालमपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

केस नं० 19/95 तकसीम ता० पेशी 15-3-96

श्रीमती सुखनन्दन रानी . बनाम ओम प्रकाश आदि ।

प्रार्थना-पत्र तकसीम भूमि खाता नं० 34, खतौनी नं० 71 से 80 खसरा किता 36, रकबा तादादी 0-85-58 हैक्टेयर स्थित मुहाल कोटवाल-लाहड़ मौजा-थुरल, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ।

उपरोक्त मुकद्दमा में प्रतिवादीगण 1. सर्वश्री ओम प्रकाश 2. वासुदेव पुत्रान, 3. श्रीमती सत्या देवी, 4. शीतला देवी पुत्रियां ब्रह्मू राम, 5. जसाखू राम, 6. निक्कू राम पुत्रान, 7. मस्तो देवी पुत्री भोलू राम, 8. सुरेश कुमार, 9. ओम प्रकाश, 10. रमेश कुमार पुत्रान नथू राम मुहाल कोटवाल लाहड़ मौजा थुरल, तहसील पालमपुर, 11. निर्मला देवी पत्नी ईश्वर दास गांव व मौजा थुरल, 12. बिहारी लाल पुत्र किरपू राम, मुहाल कोटवाल लाहड़, मौजा थुरल, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश को बजरिया इश्तहार राजपत्र हिमाचल प्रदेश द्वारा सूचित किया जाता है कि वह दिनांक 15-3-1996 को प्रातः 10 बजे असालतन या वकालतन हाजिर आकर मुकद्दमा की पैरवी करें, अन्यथा उनके खिलाफ एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी । इसके उपरान्त कोई उजर व एतराज काबिल समायत न होगा ।

आज दिनांक 11-1-1996 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ ।

मोहर ।

नेत्र सिंह भारद्वाज,
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
पालमपुर, जिला कांगड़ा ।

ब अदालत श्री लच्छमण दास ठाकुर, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, पालमपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

केस नं0 89/95 तकसीम तारीख पेशी: 24-2-96
श्रीमती प्रेमी देवी बनाम वीर सिंह आदि ।

प्रार्थना-पत्र तकसीम भूमि खाता नं0 57, खतौनी नं0 118, खसरा नं0 597, 598, 601, 602, 613, 630, 640, 647, 660, 663, 664, 675, 676, 687, किता 14, भूमि रकबा 0-40-08 हैक्टेयर, वाक्या मुहाल सिहोटू उपरला, मौजा डरोह, तहसील पालमपुर ।

उपरोक्त मुकद्दमा में प्रतिवादीगण सर्वश्री (1) वीर सिंह, (2) भीम सैन, (3) सुभाष चन्द, (4) प्रीतम चन्द पुत्रान हरी सिंह सुपुत्र उधमी, निवासी मुहाल सिहोटू उपरला, मौजा डरोह, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा को बजरिया समन तलब किया था मगर वह हाजिर अदालत न आए, अब उन्हें इस इश्तहार राजपत्र, हिमाचल प्रदेश द्वारा सूचित किया जाता है कि वह दिनांक 24-2-1996 को सुबह 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर पैरवी मुकद्दमा करें अन्यथा उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी उस के बाद कोई उजर व एतराज काबिले समायत न होगा ।

आज हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से दिनांक 30-12-95 को जारी हुआ ।

मोहर । लच्छमण दास ठाकुर,
नायब-तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
पालमपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ।

ब अदालत श्री नेत्र सिंह भारद्वाज, नायब-तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता पालमपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

केस नं0 शून्य तस्दीक इन्तकाल तारीख पेशी 26-2-96

प्रार्थना-पत्र श्री बैनी प्रसाद शर्मा सुपुत्र श्री मुन्शी राम, गांव व डाकघर फरेड़, तहसील पालमपुर बराए तस्दीक इन्तकाल नं0 525 वरासत खाता नं0 147, रकबा तादादी 0-01-83 हैक्टेयर, स्थित मुहाल समूला, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा ।

उपरोक्त इन्तकाल तसदीक करने हेतु पानो देवी के वारसान को साधारण तरीके से इत्तलाह की गई मगर वह हाजिर मौका न आए । अतः इस इश्तहार राजपत्र, हिमाचल प्रदेश द्वारा सर्व श्रीमती तृप्ता देवी, विन्ना देवी, प्रवीता देवी पुत्रियां व श्री गुलराज सुपुत्र गौगा राम, निवासी समूला, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा को सूचित किया जाता है कि वह दिनांक 26-2-1996 को असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर परवी मुकद्दमा करें, अन्यथा उनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी तथा बाद गुजरने तारीख पेशी कोई उजर व एतराज काबिले समायत न होगा ।

आज दिनांक 1-1-1996 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ ।

मोहर । नेत्र सिंह भारद्वाज,
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
पालमपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ।

ब अदालत श्री नेत्र सिंह भारद्वाज, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, पालमपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

Case No. 20/95 तकसीम तारीख पेशी 15-3-96

श्रीमती सुख नन्दन रानी बनाम आम प्रकाश आदि ।

प्रार्थना-पत्र तकसीम भूमि खाता नं0 104 खतौनी नं0 178 से 181 खसरा किता 17 रकबा तादादी 0-24-18 हैक0 स्थित मुहाल मलघूहणी, मौजा थुरल, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा हि0 प्र0 ।

उपरोक्त मुकद्दमा में प्रतिवादीगण 1. सर्वश्री ओम प्रकाश, 2. वासू देव पुत्रान, 3. सत्या देवी, 4. शीतला देवी पुत्रिया ब्रहमू, 5. बसाखू राम, 6. निक्कू राम पुत्रान, 7. मस्ती देवी पुत्री भोलू राम सभी मुहाल मलेहड़, मौजा थुरल, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश को बजरिया इश्तहार राजपत्र, हिमाचल प्रदेश सूचित किया जाता है कि वह दिनांक 15-3-96 को प्रातः 10 बजे हाजिर अदालत (असालतन या वकालतन) आकर मुकद्दमा की पैरवी करें, अन्यथा उन के खिलाफ एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी । इस के उपरान्त कोई उजर व एतराज काबिले समायत न होगा ।

आज दिनांक 11-1-96 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ ।

मोहर । नेत्र सिंह भारद्वाज,
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
पालमपुर, जिला कांगड़ा ।

ब अदालत श्री नेत्र सिंह भारद्वाज, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी पालमपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

Case No. 2/96 जीवन/मृत्यु तारीख पेशी 15-3-96

शेर सिंह बनाम आम जनता

प्रार्थना-पत्र अधीन धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969.

श्री शेर सिंह पुत्र जैसी राम, वासी बलोत, डा0 बलोटा, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने इस कार्यालय में प्रार्थना की है कि उसके लड़के शशी कुमार का जन्म उस की पत्नी निर्मला देवी की कोख से दिनांक 17 फरवरी, 1985 को हुआ है, लेकिन उस की जन्म तिथि पंचायत रिकार्ड बलोटा में दर्ज न है ।

अतः इस इश्तहार राजपत्र, हिमाचल प्रदेश द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि इस बारा किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो इस अदालत में दिनांक 15-3-96 को प्रातः दस बजे असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है, बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर या एतराज काबिले समायत न होगा । तथा सम्बन्धित पंचायत बलोटा को शशी कुमार पुत्र शेर सिंह की जन्म तिथि 17-2-1985 पंजीकरण के आदेश दे दिए जाएंगे ।

आज दिनांक 12-1-96 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ ।

मोहर। नेत्र सिंह भारद्वाज,
कार्यकारी दण्डाधिकारी, पालमपुर,
(हि0 प्र0)

ब अदालत श्री नेत्र सिंह भारद्वाज, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, पालमपुर

Case No. 51/95 तकसीम तारीख 15-3-96

अमर सिंह बनाम जगदीश चन्द आदि ।

प्रार्थना-पत्र तकसीम भूमि खाता नं0 46 खतौनी नं0 109 खसरा नं0 4 रकबा तादादी 0-03-14 हैक0 स्थित मुहाल मुरेहड़, मौजा सल्याणा, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा हि0 प्र0 ।

उपरोक्त मुकद्दमा में प्रतिवादीगण सर्वश्री 1. रमेश चन्द, 2. सुरेश चन्द पुत्रान शक्ति चन्द निवासी मुरेहड़, मौजा सल्याणा, 3. सुशील चन्द, 4. सुरेन्द्र चन्द पुत्रान जगदीश चन्द, मुहाल रापुर, मौजा रजेहड़, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा को इस इश्तहार राजपत्र, हिमाचल प्रदेश द्वारा सूचित किया जाता है कि वह दिनांक 15-3-96 को असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर पैरवी मुकद्दमा करें, अन्यथा एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी ।

बाद गुजरने मियाद कोई उजर व एतराज काबिले समायत न होगा ।

आज दिनांक 12-1-96 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत मे जारी हुआ ।

मोहर । नेत्र सिंह भारद्वाज,
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
पालमपुर, जिला कांगड़ा ।

ब अदालत श्री नेत्र सिंह भारद्वाज, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, पालमपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

केस नं0 1/96 तारीख दायरा 8-1-96 तारीख पेशी 11-3-96

जोहर सिंह पुत्र अनन्त राम, मुहाल कुरल, तहसील पालमपुर, हिमाचल प्रदेश ।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना पत्र अधीन धारा 13 (3) जीवन एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री जोहर सिंह पुत्र अनन्त राम, निवासी मुहाल कुरल, डाकघर कुरल, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने इस कार्यालय में प्रार्थना पत्र दिया है कि उसकी लड़की पूजा देवी का जन्म उसकी पत्नी उर्मिला देवी की कोख से दिनांक 3-9-1990 को उक्त गांव में हुआ है, मगर उसकी जन्म तिथि पंचायत कुरल के रिकार्ड मे दर्ज न है, दर्ज करने की स्वीकृति दी जावे ।

अतः इस इश्तहार राजपत्र, हिमाचल प्रदेश द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अगर इस बारे किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह अपना उजर या एतराज इस अदालत में दिनांक 11-3-1996 को सुबह 10 बजे असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है, बाद गुजरने मियाद कोई उजर काबिले समायत न होगा, तथा सम्बन्धित पंचायत कुरल को उपरोक्त पूजा देवी पुत्री जोहर सिंह की जन्म तिथि 3-9-1990 पंजीकरण के आदेश पारित कर दिए जाएंगे ।

आज दिनांक 8-1-1996 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ ।

मोहर । नेत्र सिंह भारद्वाज,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
पालमपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ।

ब अदालत श्री नेत्र सिंह भारद्वाज, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, पालमपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

केस नं0 18/95 तकसीम ता0 पेशी 15-3-96

श्रीमती सुखनन्दन रानी बनाम ओम प्रकाश आदि ।

प्रार्थना पत्र तकसीम भूमि खाता नं0 6 खतौनी नं0 8 व 12 खसरा किता 32 रकबा तादादी 0-85-83 हैक्टयर, मुहाल मलेहड़, मौजा थुरल, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ।

उपरोक्त मुकद्दमा में प्रतिवादीगण 1. सर्वश्री ओम प्रकाश, 2. वासुदेव पुत्रान, 3. सत्या देवी, 4. शीतला देवी पुत्रियां बहुम, 5. बसाखू राम, 6. निक्कू राम पुत्रान, 7. मस्ती देवी पुत्री भोल राम सभी मुहाल मलेहड़, मौजा थुरल, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश को बजरिया इश्तहार राजपत्र सूचित किया जाता है कि वह दिनांक 15-3-1996 को प्रातः 10 बजे हाजिर अदालत (असालतन या वकालतन) आकर मुकद्दमा की पैरवी करें, अन्यथा उनके खिलाफ एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी । इसके उपरान्त कोई उजर व एतराज काबिले समायत न होगा ।

आज दिनांक 11-1-1996 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत मे जारी हुआ ।

मोहर । नेत्र सिंह भारद्वाज,
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
पालमपुर, जिला कांगड़ा ।

ब अदालत श्री हरि सिंह भाटा, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

Lobsang Gyurmey

बनाम

आम जनता व अन्य

विषय :—प्रार्थना पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969.

नोटिस बनाम आम जनता ।

श्री Lobsang Gyurmey सपुत्र श्री Buchung निवासी धर्मशाला, मौजा धर्मशाला, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसकी पुत्री Yangchen Tsemtso की जन्म तिथि 14-7-1981 है परन्तु एम0 सी0 धर्मशाला में उक्त तारीख पंजीकृत न हुई है अतः इसे पंजीकृत किय जाय । इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त बच्चे की जन्म पंजीकरण किये जाने बारे कोई एतराज हो तो हमारी अदालत में दिनाक 8-3-1996 को असालतन या वकालतन हाजिर हो कर उजर पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे ।

आज दिनांक 2-12-95 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया ।

मोहर । हरि सिंह भाटा,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
धर्मशाला, जिला कांगड़ा ।

ब अदालत श्री हरि सिंह भाटा, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

Mrs. Jampa Chonzom

बनाम

आम जनता व अन्य

विषय :—प्रार्थना पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969.

नोटिस बनाम आम जनता

Jampa Chonzom w/o Lobang Tsering, निवासी मकलोड़गंज, मौजा धर्मशाला, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसकी जन्म तिथि 10-10-1972 है परन्तु एम0 सी0 धर्मशाला म उक्त तारिख पंजीकृत न हुई है अतः इसे पंजीकृत किये जान के आदेश दिये जायें । इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त की जन्म तिथि पंजीकरण किये जाने बारे कोई एतराज हो तो हमारी अदालत में दिनांक 8-3-1996 को असालतन या वकालतन हाजिर हो कर उजर पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ

पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 2-12-95 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हरि सिंह भाटा,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
धर्मशाला, जिला कांगड़ा।

ब अदालत श्री हरि सिंह भाटा, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि० प्र०)

Migmar

बनाम

आम जनता व अन्य

विषय:—प्रार्थना पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969

नोटिस बनाम आम जनता।

Mrs Migmar w/o Mr Sonam Tsering, निवासी धर्मशाला, मौजा धर्मशाला, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसकी जन्म तिथि 3-11-1982 है परन्तु एम० सी० धर्मशाला में उक्त तारीख पंजीकृत न हुई है अत: इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त की जन्म तिथि पंजीकरण किये जाने बारे कोई एतराज हो तो हमारी अदालत में दिनांक 8-3-1996 को असालतन या वकालतन हाजिर हो कर उजर पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 2-12-95 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हरि सिंह भाटा,
कार्यकारी दण्डाधिकारी
धर्मशाला, जिला कांगड़ा।

ब अदालत तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी, धर्मशाला जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश

मुकद्दमा नं०   तारीख पेशी 22-2-1996

1. कर्नल विक्रम सिंह पुत्र राज सिंह, वासी श्यामनगर . . प्रार्थी।

बनाम

1. ओंकार सिंह, 2. अरनैल सिंह पुत्रान, 3. अर्चना देवी, 4. रचना देवी पुत्रियां रोशन लाल, प्रार्थी 5. देवी प्रसाद पुत्र रावन, 6. प्रशोतम पुत्र रावन, 7. चरन दास, 8. जय पाल पुत्रान 9. कुमारी माया देवी पुत्री रावन, 9. हली देवी, 10. मधुष्या देवी पुत्री पंजाबी, 11. प्रकाश चन्द पुत्र बुमतैरी, 12. श्रीमती ओंकार देवी पुत्री बुमहरी 13. किस्सो राम पुत्र तमाना, 14. नथनी देवी पुत्री धनीआ, 15. सन्तु राम, 16. आत्मा राम पुत्रान, 17. कुमारी निलमो देवी पुत्री भीम सैन, 18. वैनेतु, 19. कुमारी काली पुत्रियां, 20. श्रीमती गुरभु विधवा तोजी, 21. रीता देवी पुत्री रतन सिंह, 22. धर्म सिंह पुत्री लाल सिंह, 23. राजीव कुमार पुत्र प्राणनाथ 24. रविन्द्र दत्त पुत्र हेम राज, 25. ओम प्रकाश पुत्र हरि लाल, सभी वासी नड्डी, मौजा धर्मशाला . . . प्रत्यार्थीगण।

प्रार्थना पत्र बाबत तकसीम भूमि खाता नं० 34 खतौनी नं० 143 ता 153 खसरा किता 54 रकबा तादादी 0-48-86 है० वाका महाल नड्डी, मौजा धर्मशाला, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश। जमाबन्दी वर्ष 1989-90

उपरोक्त बाबा तकसीम इस न्यायालय में विचाराधीन है। जिसमें प्रत्यार्थीगण की हाजरी जरूरी है। उपरोक्त प्रत्यार्थीगण को कई बार अदालत द्वारा बजरिया समन तलब किया लेकिन हर बार समन बिना तामील प्राप्त होते रहे। अत: न्यायालय को पूर्ण विश्वास हो चुका है कि प्रत्यार्थियों को साधारण ढंग से तामील होना असम्भव है।

अत: इस राजपत्र इश्तहार द्वारा उपरोक्त प्रत्यार्थीगण को सूचित किया जाता है कि अगर किसी को एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन या अपने किसी एजैंट द्वारा हाजिर हो कर दिनांक 26-2-1996 को सुबह 10.00 बजे पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 9-1-1996 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

हस्ताक्षरित/-

मोहर।

सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि० प्र०)।

ब अदालत हरिसिंह भाटा, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

Migmar

बनाम

आम जनता व अन्य

विषय:—प्रार्थना पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

Mrs. Migmar w/o Sonam Tsering, निवासी धर्मशाला, मौजा धर्मशाला, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसके पुत्र Tsering Dorjee की जन्म तिथि 21-5-1986 है परन्तु एम.सी. धर्मशाला में उक्त तारीख पंजीकृत न हुई है अत: इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त बच्चे की जन्म पंजीकरण किये जाने बारे कोई एतराज हो तो हमारी अदालत में दिनांक 8-3-1996 को असालतन या वकालतन हाजिर होकर उजर पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ पत्र जन्म/मृत्यु तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 2-12-1995 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-,

कार्यकारी दण्डाधिकारी,
धर्मशाला, जिला कांगड़ा।

ब अदालत हरि सिंह भाटा, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

माला देवी

बनाम

आम जनता व अन्य

विषय:—प्रार्थना पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969.

नोटिस बनाम आम जनता ।

श्रीमति माला देवी पत्नी श्री प्रीतम चन्द, निवासी भटेड़ मौजा पासु, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ पत्र सहित मुकदमा दायर किया है कि उसके पति प्रीतम चन्द की मृत्यु तिथि 4-4-1994 है परन्तु ग्राम पंचायत पासु में उक्त तारीख पंजीकृत न हुई है अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त की मृत्यु पंजीकरण किये जाने बारे कोई एतराज हो तो हमारी अदालत में दिनांक 8-3-1996 को असालतन या वकालतन हाजिर होकर उजर पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र मृत्यु तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे ।

आज दिनांक 4-12-95 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया ।

मोहर । हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी,
धर्मशाला, जिला कांगड़ा ।

ब अदालत हरि सिंह भाटा, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

Lhakpa Tsering

बनाम

आम जनता व अन्य

विषय:—प्रार्थना पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969.

नोटिस बनाम आम जनता ।

श्री Lhakpa Tsering सुपुत्र श्री Sithar, निवासी मकलोडगंज, मौजा धर्मशाला, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ पत्र सहित मुकदमा दायर किया है कि उसकी पुत्री Tesring Bhuti की जन्म तिथि 4-4-1977 है परन्तु एम०सी० धर्मशाला में उक्त तारीख पंजीकृत न हुई है अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त बच्चे की जन्म पंजीकरण किये जाने बारे कोई एतराज हो तो हमारी अदालत में दिनांक 8-3-1996 को असालतन या वकालतन हाजिर होकर उजर पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे ।

मोहर। हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी,
धर्मशाला, जिला कांगड़ा ।

ब अदालत श्री जय चन्द चौधरी, नायब-तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ज्वाली, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

विषय :—दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म व मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969.

श्री देस राज पुत्र श्री रोशन लाल, निवासी वासा, तहसील ज्वाली, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश .. प्रार्थी ।

बनाम

आम जनता ..प्रत्यार्थी ।

नोटिस बनाम आम जनता ।

श्री देस राज पुत्र श्री रोशन लाल, निवासी वासा, तहसील ज्वाली, जिला कांगड़ा ने आवेदन किया है कि श्री रोशन लाल जो उसका पिता लगता था दिनांक 24-4-1986 को गांव वासा में स्वर्ग सिधार गया था जिसका नाम पंचायत रिकार्ड में दर्ज न करवा सका ।

अतः इस नोटिस द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को श्री रोशन लाल की मृत्यु के पंजीकरण बारे कोई एतराज हो तो वह मेरे न्यायालय में उपस्थित होकर दिनांक 28-2-1996 को उजर पेश कर सकता है अन्यथा यह समझा जाएगा कि किसी को इस पंजीकरण बारे कोई आपत्ति न है तथा नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी ।

आज दिनांक 11-1-1996 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ ।

मोहर। जय चन्द चौधरी,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
ज्वाली, जिला कांगड़ा (हि० प्र०) ।

ब अदालत श्री मनोक सिंह, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

श्री लाल चन्द सुपुत्र सूबा, वासी गन्धवाड़ खास, मौजा गन्धवाड़, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा .. प्रार्थी ।

बनाम

आम जनता

विषय.—दरख्वास्त जेर धारा 13 (3) जन्म व मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री लाल चन्द सुपुत्र श्री सूबा, वासी गन्धवाड़ खास, मौजा गन्धवाड़, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसके लड़के सुनील कुमार का जन्म 1-10-1990 को हुआ है परन्तु अज्ञानता के कारण उसका नाम पंचायत अभिलेख में दर्ज न करवाया गया है ।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि सुनील कुमार सुपुत्र श्री लाल चन्द के नाम व जन्म तिथि 1-10-1990 बारे किसी व्यक्ति को कोई उजर एवं एतराज हो तो वह दिनांक 22-2-1996 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना उजर पेश कर सकता है । अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा कर सुनील कुमार का नाम व जन्म तिथि 1-10-1990 दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे ।

आज दिनांक 6-1-1996 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ ।

मोहर । मनोक सिंह,
कार्यकारी दण्डाधिकारी खुण्डियां,
जिला कांगड़ा (हि० प्र०) ।

ब अदालत श्री हरबन्स लाल इन्दोरिया, कार्यकारी दण्डाधिकारी, खुण्डीयां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

श्रीमती स्वर्णा देवी पत्नी श्री जगदीश चन्द, वासी भदरोल, मौजा भटियालता, तहसील खुण्डीयां, जिला कांगड़ा .. सायला ।

बनाम

सर्व जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

श्रीमती स्वर्ण देवी सायला ने प्रार्थना पत्र दिया है कि उसके लड़के विरेन्द्र कुमार पुत्र जगदीश चन्द का जन्म दिनांक 6-4-1989 को हुआ है लेकिन उसका नाम ग्राम पंचायत पीहड़ी में दर्ज न हुआ है अतः जन्म पंजीकरण की इजाजत दी जाये।

सर्व. साधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त जन्म पंजीकरण के प्रति कोई आपत्ति हो तो वह स्वयं, असालतन या वकालतन इस अदालत में दिनांक 24-2-96 प्रातः 10 बजे अपनी आपत्ति दायर करें अन्यथा हस्ब जाबता कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

मोहर। हरबन्स लाल इन्दोरीया,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
खुण्डीया, जिला कांगड़ा।

NOTICE

In the Court of Shri Santosh Kumar, Executive Magistrate, Sub-Tehsil Rakkar. District Kangra (H.P.)

Application U/s 13 (3) of Birth and Death Registration Act 1969.

Shri Hari Singh s/o Daya Ram, resident of village Sai, P. O. Nihari, Sub-Tehsil Rakkar, Tehsil Dehra, District Kangra (H.P.) to the court of Executive Magistrate has given an application that his daughter Meena Devi birth wrongly not entered in the Registration Register of birth of Gram Panchayat. The same be entered. Her date of birth is 28-8-1989 and the child is born in village Sai. Gram Panchayat Punani.

As such through this notice all neighbours and relatives are hereby informed. In case any difficulty in registration her name then be dated 28-2-96 at 10 A.M. produce documentry proof otherwise needful be done.

Today dated the 8th Month May, Years 1995 issued under my signature and court Stamp.

Seal. SANTOSH KUMAR.
Executive Magistrate,
Rakkar, Kangra.

ब अदालत श्री बाई0 पी0 एस0 वर्मा, तहसीलदार/कार्यकारी दण्डाधिकारी लाहुल स्थान केलंग

श्री टणी नोरबू पुत्र श्री नवांग, गांव केलंग, कोठी गुमरंग, जिला लाहुल एवं स्पिति .. प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

दरख्वास्त जेर धारा 13 (3) जन्म तथा मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में श्री टणी नोरबू पुत्र नवांग, गांव केलंग, कोठी गुमरंग ने इस अदालत में एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसकी लड़की रिगजिन अंगमो का जन्म तिथि 15-8-90 को हुआ है लेकिन उसकी जन्म तिथि जन्म तथा मृत्यु पंजीकरण/पंचायत अभिलेख में दर्ज करने से रह गया है।

अतः सर्वसाधारण को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि यदि कुमारी रिगजिन अंगमो की जन्म तिथि दर्ज करने में किसी को कोई एतराज हो तो अपना उजर इस अदालत में दिनांक 16-03-1996 को पेश कर सकता है। अन्यथा एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जा कर कुमारी रिगजिन अंगमो की जन्म तिथि दर्ज करने का आदेश पारित किया जाएगा।

आज दिनांक 21-12-1995 को मेरे मोहर एवं हस्ताक्षर द्वारा जारी किया गया है।

मोहर। बाई0 पी0 एस0 वर्मा,
तहसीलदार/कार्यकारी दण्डाधिकारी, लाहुल
स्थान केलंग (हि0 प्र0)।

ब अदालत श्री बाई 0पी0 एस0 वर्मा, तहसीलदार/कार्यकारी दण्डाधिकारी, लाहुल स्थान केलंग

श्री तन्जिन पुत्र कुंगा नमज्ञाल, गांव ग्रीमस कोठी गुमरंग, जिला लाहुल एवं स्पिति .. प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

दरख्वास्त जेर धारा 13 (3) जन्म तथा मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में श्री तन्जिन पुत्र कुंगा नमज्ञाल, गांव ग्रीमस, कोठी गुमरंग ने इस अदालत में एक प्रार्थना-पत्र सहित शपथ-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसका लड़का सुशील कुमार का जन्म तिथि 19-10-1990 को हुआ है लेकिन उसकी जन्म तिथि पंचायत अभिलेख में दर्ज करने से रह गयी है। अब वह दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि यदि श्री सुशील कुमार की जन्म तिथि दर्ज करने में किसी को एतराज हो तो वह अपना उजर इस अदालत में असालतन या वकालतन दिनांक 16-3-1996 को 10.00 बजे पेश कर सकता है। अन्यथा एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर के सुनील कुमार की जन्म तिथि दर्ज करने का आदेश पारित किया जावेगा।

आज दिनांक 22-12-1995 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी किया गया।

मोहर। बाई0 पी0 एस0 वर्मा,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
लाहुल स्थान केलंग।

ब अदालत श्री के0 डी0 शर्मा, उप-मण्डल दण्डाधिकारी, गोहर, जिला मण्डी, हि0 प्र0

श्री नेत्र चन्द पुत्र श्री तारा चन्द, निवासी सुराह, तहसील चच्योट जिला मण्डी, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

दरख्वास्त जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969.

श्री नेत्र चन्द पुत्र श्री तारा चन्द, निवासी सुराह, तहसील चच्योट, जिला मण्डी, हि0 प्र0 ने इस अदालत में गुजारिश की है कि उसके लड़के का नाम व जन्म तिथि (विपन कुमार 20-3-1994) का इन्द्राज ग्राम पंचायत छतराहण में नहीं है जिसे दर्ज किया जाये।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्व जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि उक्त नाम व जन्म तिथि दर्ज करने बारा किसी का एतराज हो तो वह तिथि 20-2-96 को या इससे पूर्व हाजिर अदालत होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। अन्यथा सम्बन्धित पंचायत सचिव को उक्त नाम व तिथि दर्ज करने का आदेश जारी कर दिया जायेगा।

आज दिनांक 17-1-96 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत हजा में जारी हुआ।

मोहर। के0 डी0 शर्मा,
उप-मण्डल दण्डाधिकारी,
गोहर।

इश्तहार

ब अदालत सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी (तहसीलदार), सरकाघाट, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

मुकद्दमा शीर्षक :

श्री ओंकार चन्द पुत्र रूप लाल पुत्र जयकरण, निवासी रिहडी, ईलाका हटली, तहसील सरकाघाट, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश .. फरीक अव्वल।

बनाम

श्री भगवान दास, अमर नाथ सपुत्र लभू उपनाम लभू राम, निवासी रिहडी, ईलाका हटली, तहसील सरकाघाट, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश .. फरीकदोयम।

विषय .—दरख्वास्त तकसीम अराजी।

प्रार्थी ने दरख्वास्त तकसीम बाबत खेवट खतौनी नम्बर 21/24, नम्बर खसरा 151 ता 424, किस्ता 2, रकबा तादादी 0-05-12 हैक्टेयर, वाक्या मुहाल रिहडी, ईलाका हटली ने प्रस्तुत की है, जिसमें फरीक अव्वल का फरीकदोयम के साथ मुस्तरका मालकान दर्ज कागजात माल है। अतः फरीकदोयम का बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि अगर उन्हें तकसीम में कोई भी आपत्ति हो तो वह दिनांक 1-3-1996 को सुबह दस बजे हाजर अदालत आकर असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। अन्यथा कार्यवाही एकतरफा अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 16-1-1996 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित-/
सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी,
सरकाघाट, जिला मन्डी (हि0 प्र0)।

इश्तहार

ब अदालत सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी (तहसीलदार), सरकाघाट जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

मुकद्दमा शीर्षक :

श्री ओंकार चन्द पुत्र रूप लाल, जयकरण निवासी रिहडी, ईलाका हटली, तहसील सरकाघाट, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश .. फरीक अव्वल।

बनाम

श्री भगवान दास, अमर नाथ सपुत्र श्री लभू उपनाम लभू राम, निवासी रिहडी, ईलाका हटली, तहसील सरकाघाट, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश .. फरीकदोयम।

विषय .—दरख्वास्त तकसीम अराजी।

प्रार्थी ने दरख्वास्त तकसीम बाबत खेवट खतौनी नम्बर 19/19, खसरा नम्बर 24-118, किस्ता 2, रकबा तादादी 0-08-15 हैक्टेयर, वाक्या मुहाल रिहडी, ईलाका हटली, तहसील सरकाघाट, जिला मण्डी ने प्रस्तुत की है, जिसमें फरीक अव्वल का फरीकदोयम के साथ मुश्तरका मालकान दर्ज कागजात माल है। अतः फरीकदोयम को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि अगर उन्हें तकसीम में कोई भी आपत्ति हो तो वे दिनांक 1-3-1996 को सुबह 10 बजे हाजर अदालत आकर असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। अन्यथा कार्यवाही एकतरफा अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 16-1-1996 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत में जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
सरकाघाट, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

ब अदालत श्री रतन गौतम, उप-पंजीकाध्यक्ष, सुन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

मि0 नं0 1/95

ब मुकद्दमा :

गनेश भगवान मन्दिर, नाग बाबा शिव गिर, मोहतमीम छैला बाबा अकादशी गिरी, तैरामड़ी हराबाग, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश .. प्रार्थी।

बनाम

आम जनता .. फरीकदोयम।

दरख्वास्त बगैज किये जाने पंजीकृत वसीयतनामा।

इश्तहार

उपरोक्त उनवान मुकद्दमा में प्रार्थी नाग बाबा शिव गिर, मोहतमाम छैला बाबा अकादशी गिरी तैरामड़ी (हराबाग), तहसील सुन्दरनगर ने दिनांक 29-11-1994 को इस अदालत में अन रजिस्टर्ड वसीयत करने पंजीकृत पेश की है। मत्यु प्रमाण पत्र जिसके अनुसार जियुणू पुत्र मोती, जाति राजपूत, निवासी महादेव, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी, दिनांक 13-10-1994 को स्वर्ग सिधार चुका है, ने अपनी चल व अचल सम्पति वाक्या मुहाल रोपड़ी बायला व कुराड़ा, तहसील सुन्दरनगर, ईलाका डैहर को उपरोक्त प्रार्थी के नाम तहरीर करवाई है।

अतः आम जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि अगर किसी व्यक्ति को इस वसीयतनामा के पंजीकृत करवाने में कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 6-3-1995 को सुबह 10 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना उजर एतराज प्रस्तुत कर सकते हैं, अन्यथा कार्यवाही एकतरफा अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 4-1-1995 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। रतन गौतम,
उप-पंजीकाध्यक्ष,
सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

ब अदालत भुवनेश्वरी बोहरा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

मुनो लाल बनाम ग्राम जनता व अन्य

विषय:—प्रार्थना पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम ग्राम जनता

श्री मुनी लाल सुपुत्र श्री किरपा राम, निवासी नागनपट्ट, मौजा वण्डी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसकी पत्नी संध्या देवी की मृत्यु तिथि 1-7-94 है। परन्तु ग्राम पंचायत वण्डी में उक्त तिथि पंजीकृत न हुई है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त को मृत्यु पंजीकरण किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह हमारी अदालत में दिनांक 16-2-96 को असालतन या वकालतन हाजिर होकर उजर पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ पत्र मृत्यु तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 24-1-1996 को मेरे हस्ताक्षरित व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी,
धर्मशाला, जिला कांगड़ा।

ब अदालत डा0 प्रेम भारद्वाज, उप-मण्डल दण्डाधिकारी, उप-मण्डल जोगिन्द्रनगर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

श्री दीना नाथ पुत्र छांगा राम, निवासी गधोला (ग्राहड) ग्राम पंचायत मैन भरोला, तहसील जोगिन्द्रनगर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

बनाम

ग्राम जनता

श्री दीना पुत्र छांगा राम, निवासी गधोला (ग्राहड) ग्राम पंचायत मैन भरोला, तहसील जोगिन्द्रनगर, जिला मण्डी हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में गुजारिश की है कि उसकी पुत्री कुमारी लता देवी का जन्म तिथि 8-9-1695 को हुआ है लेकिन नाम व जन्म तिथि पंचायत रिकार्ड में दर्ज नहीं है, दर्ज करवाई जावे।

इस अदालती इश्तहार द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि उक्त नाम व जन्म तिथि सम्बन्धित पंचायत में दर्ज करवाने बारा कोई उजर व एतराज हो तो वह तिथि 16-2-1996 को प्रातः 10.00 बजे हाजर अदालत आकर पेश करें अन्यथा उक्त नाम व जन्म तिथि सम्बन्धित पंचायत में दर्ज करने के आदेश कर दिये जाएंगे।

यह इश्तहार आज दिनांक 17-1-1996 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर। डा0 प्रेम भारद्वाज,
उप-मण्डल दण्डाधिकारी,
जोगिन्द्रनगर, जिला मण्डी,
हिमाचल प्रदेश।

अदालती सूचना

ब अदालत श्री परम देव शर्मा, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील भड़ोल, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

श्रीमती शितलो पुत्री सिधु पुत्र थलिया, निवासी बल्ह क्वार, उप-तहसील भड़ोल, जिला मण्डी ..फरीक अव्वल।

बनाम

श्री कालू पुत्र सिधु पुत्र थलिया, निवासी बल्ह क्वार, उप-तहसील भड़ोल।

प्रार्थना पत्र निस्वत इखराज नामा फरीकदोयम गैर हाजिर गैर काबिज व लापता अरसा जायद अज 40 वर्ष व तस्दीक बरास्त वहक आवेदक व तरतीबी उतरवादीगण बाका महाल बल्ह क्वार व महाल दलेड़, उप-तहसील लड़ भड़ोल, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

अनुवान मुकद्दमा में श्री कालू पुत्र सिधु पुत्र थलिया, वासी बल्ह क्वार, उप-तहसील लड़-भड़ोल, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश अरसा करीब 40 वर्ष पहले घर से लापता हैं।

अतः श्री कालू पुत्र सिधु को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि उपरोक्त मुकद्दमा में दिनांक 27-2-96 को पटवार खाना भगेहड़ में प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर आये अन्यथा गैर हाजिरी की सूरत में यह क्यास किया जायेगा कि आप लावल्द लाजन फौत हो चुके है ऐसी सूरत में बाका मकफूद उलखरी बनाम शितली पुत्री सिधु वहक जायज वारसान दर्ज होकर फैसला किया जायेगा।

आज दिनांक 11-1-1996 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर। परम देव शर्मा,
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
उप-तहसील भड़ोल, जिला मण्डी,
हिमाचल प्रदेश।

भाग 6—भारतीय राजपत्र इत्यादि में से पुनः प्रकाशन

-शून्य-

भाग 7—भारतीय निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) की वैधानिक अधिसूचनाएं तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी अधिसूचनाएं।

-शून्य-

अनुपूरक

-शून्य-

नियंत्रक मुद्रण तथा लेखन सामग्री विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित।